इकाई 14 आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना [AGGREGATION OF INCOMES (CLUBBING OF INCOMES AND DEEMED INCOMES) AND SET OFF AND CARRY FORWARD OF LOSSES]

भाग—क
(आयों का संकलन)

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 संकलित आय (Aggregated Income)

14.3 मानी गई आयें (Deemed Income)

- 14.3.1 नकद साख
- 14.3.2 स्पष्ट न किया गया विनियोग
- 14.3.3 स्पष्ट न की गयी धनराशि इत्यादि
- 14.3.4 पुस्तकों में प्रदर्शित अस्पष्ट विनियोग इत्यादि
- 14.3.5 स्पष्ट न किया गया व्यय इत्यादि
- 14.3.6 हुन्डी पर लिया गया ऋण अथवा उसका भुगतान
- 14.3.7 मानी गई आय पर करदेयता

14.4 आयों को इकट्ठा करना (Clubbing of Income)

- 14.4.1 सम्पत्ति के हस्तान्तरण किये बिना आय का हस्तान्तरण
- 14.4.2 सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तान्तरण
- 14.4.3 जीवन साथ को भुगतान किया गया वेतन, कमीशन, फीस अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक
- 14.4.4 जीवन साथी को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय
- 14.4.5 पुत्र—वधू (पुत्र की पत्नी) को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय
- 14.4.6 जीवन साथी के हित के लिये अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुदाय को सम्पत्ति का हस्तान्तरण
- 14.4.7 पुत्र—वधू (पुत्र की पत्नी) के हित के लिए अन्य या व्यक्तियों के समुदाय को सम्पत्ति का हस्तान्तरण
- 14.4.8 जीवन साथी एवं पुत्र—वधू को हस्तान्तरित सम्पत्ति के विनियोग से आय

14.5 अवयस्क संतान (बच्चे) की आय

14.6 परिवर्तित सम्पत्ति की आय

14.7 सम्पत्ति में वृद्धि से आय

14.8 नकारात्मक आय (हानि) को इकट्ठा करना

- 14.8.1 बेनामी व्यवहार
- 14.8.2 आपसी हस्तान्तरण (Cross Transfer)

14.9 कर वसूली

14.10 आयों का संकलन (Aggregation of Income)

14.11 सारांश

14.12 शब्दावली (भाग 'अ')

14.13 बोध प्रश्नों के उत्तर (भाग 'अ')

14.14 स्वपरण प्रश्न/अभ्यास (भाग 'अ')

भाग–ब

(हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना)

14.15 आय के शीर्षक एवं आय के स्त्रोत

14.16 हानि की पूर्ति से आशय

14.17 हाँनियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान (Provisions Regarding set off of Losses)

14.17.1 अन्तर स्त्रोत समायोजन (पूर्ति)

14.17.2 अन्तर शीर्षक समायेाजन (पूर्ति)

14.17.3 सामान्य व्यवसाय की हानियों की पूर्ति

14.17.4 सट्टे के व्यवसाय की हाँनियों की पूर्ति

14.17.5 विशिष्ट व्यवसायों की हानियों की पूर्ति

14.17.6 पूँजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानियों की पूर्ति

14.17.7 घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रखरखाव की हानियों की पूर्ति

14.17.8 लाटरी, शर्त, जुए, क्रास वर्ड पहेली, अथवा ताश के खेल आदि की हानियों की पूर्ति

14.17.9 साझेदारी फर्म की हानियों की पूर्ति

14.17.10 व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (B.O.I.) की हानियों की पूर्ति

14.18 हानियों को आगे ले जाना तथा हानियों की पूर्ति से आशय

14.19 हानियों को आगे ले जाना तथा हानियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान (Provisions Regarding Carry Forward and Set off of Losses)

14.19.1 मकान सम्पत्ति से हानि

14.19.2 व्यापार की हानियाँ

14.19.3 संचित अथवा एकत्रित हानि (Accumulated Loss) तथा अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)

14.19.4 सट्टे की हानियाँ

14.19.5 विशिष्ट व्यवसायों की हानियाँ

14.19.6 पूँजी हानियाँ

14.19.7 घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रखरखाव के कारण उत्पन्न हानियाँ

14.19.8 फर्म की हानियाँ

14.19.9 फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर फर्म की हानियाँ

14.19.10 फर्म के उत्तराधिकार में परिवर्तन की दशा में हानियाँ

14.19.11 विरासत में परिवर्तन के कारण व्यावसायिक उत्तराधिकार सम्बन्धी हानियों की दशा में

14.19.12 कुछ कम्पनियों की दशा में हानियाँ

14.19.13 लाटरी, क्रास वर्ड पहेली, जुआ तथा शर्त इत्यादि के कारण हानियाँ

14.19.14 व्यक्तियों के संगठन अथवा व्यक्तियों के समूह की दशा में हानियाँ

14.19.15 बोनस अनावृत (Bonus Stripping) के कारण उत्पन्न हानियाँ

14.19.16 हानि की विवरणी
14.19.17 पूर्ति क्रम (Order of set off)
14.20 सारांश ((भाग 'ब')
14.21 शब्दावली (भाग 'ब')
14.22 बोध प्रश्नों के उत्तर (भाग 'ब')
14.23 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास (भाग 'ब')

भाग—'क'

(आयों का संकलन)

14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप

- ऐसी आयों का अध्ययन कर सकेंगे है, जो दूसरे व्यक्तियों की होती है परन्तु उन्हें ऐसे करदाता की आय में जोड़कर कर लगाया जाता है जो आय के उच्च खण्ड से उत्पन्न उच्च कर को बचाने का प्रयास करते है।
- आप समझ सकेंगे कि पूर्ति हेतु, एक करदाता अपनी वास्तविक आय को वैध रूप से अन्य अपने निकट के व्यक्तियों को हस्तान्तरण इस प्रकार करता है कि उसके स्वयं का कर दायित्व न्यूनतम सम्भावित सीमा में रहे।
- इस इकाई में आप समझ सकेंगे कि ऐसे व्यवहारों को ज्ञात करना तथा इस प्रकार की कर वंचना को किस प्रकार रोका जाये, इसका अध्ययन करना है।

14.1 प्रस्तावना

एक करदाता अपनी ऐसी आयों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होता है जो अन्यथा कर मुक्त न हों। भारतीय आयकर विधान में कर लगाने के लिये खण्ड पद्धति को अपनाया गया है तथा जिन करदाताओं की उच्च आय है, उन्हें उच्च कर खण्ड में रखकर उन पर ऊँची दर पर कर लगाया जाता है। कुछ करदाता आयकर बचाने के उद्देश्य से अपनी आय को दूसरे व्यक्तियों को जिनकी आय या तो शून्य आयकर खण्ड में होती है या निचले कर खण्ड में होती है हस्तान्तरित कर देते है जिससे उनकी (करदाताओं की) आय निम्न खण्ड में आ जाती है और उन पर कम दर से आयकर लगता है। इस स्थिति से बचने हेतु हस्तान्तरित आय और हस्तान्तरित आय पर अर्जित आय उस करदाता की आय में जोड़ दी जाती है जिसने हस्तान्तरण किया हो। इस प्रकार कुछ दशाओं में करदाता अन्य व्यक्तियों की आयों पर भी कर देने के लिये उत्तरदायी होता है।

14.2 संकलित आय

करदाता की संकलित (Aggregated) आय में निम्न को शामिल किया जाता है:—

- करदाता की आयें (इसका अध्ययन पिछली इकाईयों में किया जा चुका है)
- मानी गयी आय (Deemed Incomes)
- आयों को इकट्ठा करना (अन्य व्यक्तियों की आयें, करदाता की आय में इकट्ठी करने योग्य) (Clubbing of Income)
  - a) व्यक्तियों के संगठन (A.O.P.) तथा
  - b) व्यक्तियों के समूह (B.O.I.) की आय में इनके सदस्यों का हिस्सा। आय के संकलन की विस्तृत व्याख्या इस इकाई के आगे के पृष्ठों में की गयी है।

14.3 मानी गयी आयें (DEEMED INCOMES)

सामान्यतः प्रत्येक करदाता अपने स्वयं की आय पर कर देने हेतु उत्तरदायी होता है परन्तु आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कुछ ऐसी आयें एवं राशियाँ है जो प्रत्यक्ष रूप में करदाता की आयें नहीं है पर वे करदाता की आयें मानी जाती है। इस प्रकार की आयें करदाता की आय में जोड़ी जाती है और उन्हें मानी हुई आय कहा जाता है। इस प्रकार की मानी हुई आयें या राशियाँ निम्न प्रकार हैः–

14.3.1 नकद साख (Cash Credits) (धारा– 68)

यदि किसी करदाता की पुस्तकों में गतवर्ष में कोई ऐसी राशि जमा की गयी हो जिसके सम्बन्ध में पूँछे जाने पर वह कर–निर्धारण अधिकारी को इस जमा के स्त्रोत एवं प्रकृति के विषय में संतोषजनक व्याख्या न कर सके तो ऐसी जमा राशि को करदाता की आय में जोड़ा जा सकता है और उस पर कर लगाया जा सकता है। अंशों पर प्रार्थना पत्र की राशि, अंश पूँजी सिक्योरिटी प्रीमियम रिर्जव आदि की राशि यदि एक एकाधिकारवत् कम्पनी (Closely held Company) के खातों में जमा मिलती है तो उसे उस समय तक अस्पष्ट समझा जायेगा जब तक ऐसे निवासी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न दिया जाये जिसके नाम से यह राशि कम्पनी की पुस्तकों में जमा थी। यदि कर निर्धारण अधिकारी निवासी व्यक्ति के स्पष्टीकरण से सन्तुश्ट न हो तो कम्पनी के खातों में जमा राशि को, कम्पनी की मानी गयी आय माना जायेगा। यदि रकम जोखिम पूँजी कम्पनी (Venture Capital Company) अथवा जोखिम पूँजी निधि (Venture Capital Fund) के नाम में जमा की गयी है तो उपर्युक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे। स्पष्ट न किया गयी आय @60% की दर + अधिभार (यदि उपयुक्त हो) + 4% शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर की दर से कर योग्य होगी।

14.3.2 स्पष्ट न किया गया विनियोग (Unexplained Investments) (धारा–69)

सम्बन्धित गत वर्ष में यदि करदाता ने एसे विनियोग किये है जिनका लेखा उसने अपने बही खाते में नहीं दर्शाया है तथा करदाता विनियोजित धन की प्रकृति एवं स्त्रोत का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है अथवा कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में करदाता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो ऐसे विनियोग का मूल्य करदाता की उस गत वर्ष की आय मान ली जाती है जिसमें यह विनियोग किया गया था तथा उसे करदाता की आय में सम्मलित करके उस पर आयकर लगाया जाता है।

14.3.3 स्पष्ट न की गयी धनराशि इत्यादि (Unexplained Money Etc.)- धारा–69 A

यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता के स्वामित्व में ऐसा धन, धातु, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुयें पायी जाती हैं जिसे उसने अपने बही खाते में नहीं लिखा है तथा करदाता धन, धातु जेवर तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्त के स्त्रोत एवं प्रकृति का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है अथवा कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में करदाता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो ऐसे धन तथा धातु, जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य करदाता की उस वर्ष की आय मानी जायेगी और उसे करदाता की उस वर्ष की कुल आय में जोड़कर कर लगाया जायेगा।

14.3.4 पुस्तकों में प्रदर्शित अस्पष्ट विनियोग इत्यादि (Investment Amount Etc. Not fully disclosed in the Books of Accounts) - (धारा 69 B)

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता ने विनियोग किये है अथवा उसके स्वामित्व में धातु (सोना चाँदी), जेवर, अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुयें पायी जाती है और कर–निर्धारण अधिकारी यह पाता है कि इन विनियोगों में जो राशि लगाई गयी है अथवा इन धातुओं (सोना, चाँदी), जेवर अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर जो व्यय किया गया है वह करदाता द्वारा अपने बही खाते में इस सम्बन्ध में प्रदर्शित राशि से अधिक है तथा कारदाता ऐसे अधिक्य का स्पष्टीकरण नहीं देता है अथवा उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से कर–निर्धारण अधिकारी संतुश्ट नहीं है तो यह आधिक्य की राशि करदाता की उस वित्तीय वर्ष की आय मानी जा सकती है जिस वर्ष में विनियोग किया गया है अथवा विनियोगों का स्वामी पाया गया है तथा इस आधिक्य की राशि को करदाता की कुल आय में जोड़कर उस पर कर लगाया जाता है।

14.3.5 स्पष्ट न किया गया व्यय इत्यादि (Unexplained Expenditure Etc.) - (धारा 69 C)

यदि एक करदाता ने किसी वित्तीय वर्ष में कोई ऐसा व्यय किया है जिसके धन के स्त्रोत का वह पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो ऐसे व्यय की राशि उसकी उस वित्तीय वर्ष की आय मानी जायेगी जिस वित्तीय वर्ष में व्यय किया गया है तथा उसे उसकी कुल आय में जोड़ा जायेगा तथा उस पर आयकर लगाया जायेगा। ऐसे स्पष्ट न किये गये व्यय को जिसे करदाता की आय माना जाता है किसी भी आय के शीर्षक से नहीं घटाया जा सकता है।

14.3.6 हुन्डी पर लिया गया ऋण अथवा उसका भुगतान (Amount Borrowed or Repaid on Hundi) - (धारा 69 D)

हुन्डी पर उधार ली गयी राशि तथा उसका भुगतान, ''खाते में भुगतान चेक'' (Account Payee Cheque) द्वारा किया जाना चाहिये अन्यथा यह उधार ली गयी राशि या भुगतान की गयी राशि ऋण लेने वाले की अथवा भुगतान करने वाले की उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिस वर्ष में यह व्यवहार किये गये हों। भुगतान की राशि में ऋण का ब्याज भी सम्मिलित होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि जब हुन्डी पर ऋण लिया गया हो और उसे आय मान लिया गया हो तो भुगतान के समय उसे पुनः आय नहीं माना जायेगा और पुनः कुल आय में जोड़कर कर नहीं लगाया जायेगा।

14.3.7 मानी गयी आय पर करदेयता (Taxation of Deemed Incomes)

धारा 68, 69, 69 A, 69 B, 69 C तथा 69 D के अन्तर्गत आने वाली आयें, मानी गयी आयें होती है तथा उन पर 30% कर + (अधिभार यदि देय है) + शिक्षा उपकर की दर से कर लगाया जाता है। उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आय की गणना किये जाने में किसी व्यय अथवा भत्ते की कटौती नहीं मिलेगी। इसी प्रकार मानी गयी आय की गणना करने में किसी भी हानि की पूर्ति भी नहीं की जा सकेगी।

14.4 आयों को इकट्ठा करना (CLUBBING OF INCOMES)

एक व्यक्ति की आय पर कर लगाने हेतु खण्ड विधि का (Slab system) प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्रगामी कर विधि (Progressive Tax System) अपनायी जाती है। अतः कर की

दरें भी प्रगतिशील/प्रगामी होती है। अतः जैसे जैसे आय बढ़ती है आयकर की दरें भी बढ़ती है। जिन करदाताओं की आय, उच्च आय खण्ड में होती है उनके द्वारा अपनी आय का आंशिक हस्तान्तरण ऐसे अपने रिश्तेदारों या निकट के व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने की प्रवृत्ति होती है जिनकी आय निम्न आय खण्ड में अथवा पूर्णतया कर मुक्त होती है। ऐसा करके करदाता अपने आय खण्ड को निम्न श्रेणी में ले आते है और अपनी आय पर कर की उच्च दर से कर भुगतान से बच जाते है। आयकर अधिनियम की धारा 60 से धारा 65 तक कर बचाने की इन प्रथाओं को रोकने के प्रावधान दिये गये है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति को किये गये आय की हस्तान्तरण सीमा तक अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्तान्तरित आय पर अर्जित आय को करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है। अन्य व्यक्ति की ऐसी आयों को करदाता की आय के साथ जोड़ना ही आय को इकट्ठा करना (Clubbing of Incomes) कहते हैं। **आय को इकट्ठा करने के प्रावधान निम्न प्रकार हैः—**

14.4.1 सम्पत्ति को हस्तान्तरित किये बिना आय का हस्तान्तरण (Transfer of Income without Transfer of Asset) (धारा-60)

यदि एक व्यक्ति द्वारा किसी सम्पत्ति से अर्जित आय दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दी जाती है परन्तु ऐसी सम्पत्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जाता है तो ऐसी सम्पत्ति की आय सम्पत्ति हस्तान्तरित करने वाले की आये मानी जायेगी तथा उसकी कुल आय में सम्मलित की जायेगी।

14.4.2 सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तान्तरण (Revocable Transfer of Asset) (धारा-61)

जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तान्तरण किया गया हो तो ऐसी सम्पत्ति से उत्पन्न अथवा प्राप्त आय सम्पत्ति हस्तान्तरणकर्ता की मानी जायेगी तथा उसकी कुल आय में सम्मलित की जायेगी।

एक हस्तान्तरण निम्न दशाओं में खण्डनीय माना जायेगा यदिः—

i) हस्तान्तरण में कोई ऐसा प्रावधान है जिसके कारण सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा आय या इसका कोई भाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरणकर्ता को हस्तान्तरित हो जाता है।

ii) हस्तान्तरण किसी भी प्रकार से हस्तान्तरणकर्ता को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण सम्पत्ति या आय अथवा इसके किसी भाग पर पुनः अधिकार प्राप्त कर सकता है। हस्तान्तरण के अन्तर्गत कोई भी बन्दोबस्त (Settlement), प्रन्यास (Trust), अनुबन्ध (Contract), ठहराव (Agreement) अथवा विन्यास (Arrangement) सम्मलित हेाता है। (धारा—63)

14.4.3 जीवन साथी को भुगतान किया गया वेतन, कमीशन, फीस अथवा अन्य कोई परिश्रमिक (Salary, Commission, Fees or Any Other Remuneration of Spouse) (धारा 64)

एक व्यक्ति के जीवन—साथी द्वारा नकद अथवा वस्तु के रूप में ऐसी संस्था से जिसमें उस व्यक्ति का सारवान हित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में वेतन, कमीशन, फीस अथवा पारिश्रमिक के किसी अन्य रूप में आय प्राप्त की हो तो ऐसे उस व्यक्ति की कुल आय की गणना में जोड़ा जायेगा। यद्यपि यह प्रावधान ऐसे जीवन साथी की उस आय पर लागू नहीं होगा जो उसके द्वारा अपनी तकनीकी अथवा पेशेवर योग्यता एवं अनुभव के प्रयोग से पूर्णतः

अर्जित की गयी हो। कम्पनी की दशा में, एक व्यक्ति का कम्पनी में सारवान हित उस समय माना जाता है जब उसके तथा उसके रिश्तेदारों के पास जोड़कर गत वर्ष में कम से कम (20%) मताधिकार वाले अंश हों।

कम्पनी को छोड़कर अन्य दशाओं में, यदि एक व्यक्ति का उसके रिश्तेदारों सहित लाभ में 20% या इससे अधिक का हिस्सा होता है, तो उसका उस संस्था (व्यवसाय) में सारवान हित माना जाता है।

यदि किसी व्यावसायिक संस्था में दोनों जीवन साथियों का सारवान हित हो तथा दोनों ऐसी संस्था से पारिश्रमिक प्राप्त करते हों तो इस स्थिति में पारिश्रमिक उस जीवन साथी (पति अथवा पत्नी) की आय में जोड़ा जायेगा जिसकी आय इस पारिश्रमिक के जोड़ने से पूर्व अधिक हो।

जीवन साथी से आशय पति अथवा पत्नी से है तथा आय का जोड़ना (Clubbing) जीवन साथी द्वारा प्रत्यक्ष अथा अप्रत्यक्ष, नकद अथवा वस्तुओं में प्राप्त वेतन, कमीशन, फीस अथवा अन्य किसी पारिश्रमिक प्राप्त करने तक सीमित होगा।

14.4.4 जीवन साथी को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय (Income from Assets Transferred to Spouse) धारा [64 (i) iv]

जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मकान सम्पत्ति को छोड़कर अन्य कोई सम्पत्ति हस्तान्तरित करता है तो ऐसी सम्पत्ति की आय हस्तान्तरणकर्ता की आय मानी जायेगी। यद्यपि यह प्रावधान निम्न दशाओं में लागू नहीं होंगेः–

i) जब हस्तान्तरण पर्याप्त प्रतिफल के बदले में किया गया हो।

ii) जब हस्तान्तरण स्वेच्छा से अथवा कानूनी रूप से, जीवन साथियों (पति–पत्नी) के मध्य अलग रहने के किसी समझौते के अधीन हुआ हो।

उन परिस्थितियों में जबकि प्रतिफल पर्याप्त न हो, हस्तान्तरणकर्ता की आय में हस्तान्तरित सम्पत्ति की अनुपातिक आय जोड़ी जायेगी।

जीवन साथी को हस्तान्तरित मकान सम्पत्ति की आय पर कर 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत हस्तान्तरणकर्ता द्वारा देय होगा न कि उस व्यक्ति द्वारा जिसको हस्तान्तरण किया गया है।

14.4.5 पुत्र वधू (पुत्र की पत्नी) को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय [धारा 64(i) vi]

यदि 1 जून 1973 अथवा उसके पश्चात एक व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बिना पर्याप्त प्रतिफल के कोई सम्पत्ति अपनी पुत्र वधू को हस्तान्तरित की जाती है तो ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति से प्राप्त आय, हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में शामिल की जायेगी।

14.4.6 जीवन साथी के हित के लिये किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगठन (AOP) को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय [धारा 64 (i) vii]

यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन साथी के हितों के लिये कोई सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों के संगठन को हस्तान्तरित की है तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय का वह भाग जो जीवन साथी के वर्तमान अथवा स्थगित हित के लिये हो, हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में सम्मलित किया जायेगा।

14.4.7 पुत्र वधू (पुत्र की पत्नी) के हित के लिये किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगठन (AOP) को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय [धारा (64 (i) viii)]

31.05.1973 की तिथि के पश्चात एक व्यक्ति द्वारा पुत्र वधू (पुत्र की पत्नी) के हितों के लिये कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगठन (AOP) को हस्तान्तरित की जाती है तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय का वह भाग जो पुत्र वधू के वर्तमान अथवा स्थगित हित के लिये हो, हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में सम्मलित किया जायेगा।

14.4.8 जीवन साथी अथवा पुत्र वधू की हस्तान्तरित सम्पत्ति के विनियोग से आय (Income To The Spouse Or Son's Wife from Invetment of Transferred Assets)

यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन साथी अथवा पुत्र वधू को कोई सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित की है तथा हस्तान्तरिती (Transferee) द्वारा उसका विनियोग कर दिया जाता है तो

a) यदि ऐसा विनियोग उसके द्वारा किसी फर्म के व्यवसाय में पूँजी अंशदान के रूप में अथवा हितों में सम्मलित किये जाने के कारण किया जाता है तो निम्न प्रकार से गणना की गयी राशि हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में शामिल की जायेगीः

$$= \frac{\text{गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तान्तरणकर्ता द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति का मूल्य} \times \text{हस्तान्तरिती को व्यवसाय से आय}}{\text{गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तान्तरिती द्वारा किये गये विनियोग का कुल मूल्य}}$$

गत वर्ष के प्रथम दिन कुल हस्तान्तरित विनियोग का कुल मूल्य

b) यदि किसी व्यापार में ऐसा विनियोग साझेदारी फर्म में साझेदार के रूप में, पूँजी के अंशदान हेतु किया गया है, तो निम्न प्रकार से गणना की गयी राशि, हस्तान्तरणकर्ता की कुल आय में जोड़ी जायेगीः गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तान्तरणकर्ता द्वारा किया गया पूँजी अंशदान × हस्तान्तरणी द्वारा फर्म से प्राप्त कुल आय।

$$= \frac{\text{गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तान्तरित द्वारा किया गया पूँजी अंशदान} \times \text{हस्तान्तरिती द्वारा फर्म से प्राप्त कुल आय}}{\text{गतवर्ष के प्रथम दिवस पर हस्तान्तरणी द्वारा किया गया कुल पूँजी अंशदान।}}$$

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हस्तान्तरणकर्ता की आय में वह आय जोड़ी जायेगी जो हस्तान्तरित सम्पत्ति द्वारा अर्जित की गयी है।

14.5 अवयस्क संतान (बच्चे) की आय (INCOME OF A MINOR CHILD) धारा [(64(IA)]

अवयस्क संतान (बच्चे) जो धारा 80 U के अन्तर्गत वर्णित किसी प्रकार की असाध्यता (Disability) से ग्रसित नहीं है, की प्रत्येक आय उसके माता अथवा पिता की आय में जोड़ी जायेगी। आय के अन्तर्गत अवयस्क के लिये उदय हुई अथवा अर्जित हुई, दोनों प्रकार को सम्मलित किया जाता है परन्तु निम्न आयों को माता अथवा पिता की आय में सम्मलित नहीं किया जायेगा :

i) अवयस्क को प्राप्त अथवा उसके द्वारा अर्जित वह आय जो उसने अपने शारीरिक परिश्रम से अर्जित की हो।

ii) कोई आय जो अवयस्क द्वारा अपने ऐसे कार्यकलाप द्वारा अर्जित अथवा उपार्जित की जाती है जिसके अर्जन में उसके कौशल, बुद्धिमत्ता, विशिष्ट योग्यता तथा अनुभव का प्रयोग किया गया हो।

एक अवयस्क की आये को माता अथवा पिता की आय में सम्मलित (Clubbing) करने सम्बन्धी नियम

a) यदि माता–पिता विवाहित स्थिति में रहते है तो अवयस्क की आय माता अथवा पिता दोनों में जिसकी कुल आय (अवयस्क की आय के अतिरिक्त) अधिक हो उसमें जोड़ी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि माता की कुल आय गतवर्ष में 6,00,000 रू0 तथा पिता की कुल आय इसी गतवर्ष में 7,00,000 रू0 (दोनों दशाओं में अवयस्क की आय शामिल न करते हुए) है और इस गतवर्ष में अवयस्क की आय यदि 2,00,000 रू0 हो तो उसे पिता की आय में जोड़ा जायेगा क्योंकि माता अथवा पिता में, पिता की आय अधिक है।

b) यदि अवयस्क के माता–पिता का विवाहित जीवन न हो, (सम्बन्ध विच्छेद के कारण) तो अवयस्क की आय उस माता अथवा पिता की आय में जोड़ी जायेगी जो उस अवयस्क का भरण पोषण एवं देखभाल करता है।

यदि माता अथवा पिता किसी एक की आय में अवयस्क की आय जोड़ दी गयी है तो उसे माता–पिता में से दूसरे की आय में अगले वर्षो में तब तक सम्मलित नहीं किया जा सकता जब तक कर निर्धारण अधिकारी ऐसा करने हेतु सन्तुश्ट न हो और इसकी अनुमति न प्रदान करें।

यदि किसी व्यक्ति (माता अथवा पिता) की कुल आय में अवयस्क की आय जोड़ी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को प्रति अवयस्क के लिये आय से निम्न छूट (Exemption) प्राप्त होगी :

अवयस्क की जोड़ी गयी आय
अथवा
1500 रू0 (जो दोनों में से कम हो)।

14.6 परिवर्तित सम्पत्ति की आय (INCOME FROM CONVERTED PROPERTY) धारा [(64 (2)]

यदि एक व्यक्ति अपने स्वामित्व वाली किसी सम्पत्ति को 31.12.1969 के पश्चात, बिना पर्याप्त प्रतिफल के, ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार को हस्तान्तरित कर देता है जिसका वह स्वयं भी सदस्य है तो उस सम्पत्ति की आय इस व्यक्ति (हस्तान्तरणकर्ता) की आय मानी जायेगी न कि हिन्दू अविभाजित परिवार की आय।

यदि इस प्रकार परिवर्तित सम्पत्ति भविष्य में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप में परिवार के सदस्यों में विभाजित की जाती है तो ऐसी परिवर्तित अथवा हस्तान्तरित सम्पत्ति से अर्जित / प्राप्त आय में से वह आय का हिस्सा जो हस्तान्तरणकर्ता के जीवन साथी का होता है, वह हस्तान्तरणकर्ता की आय माना जायेगा और उसकी कुल आय में शामिल किया जायेगा।

14.7 सम्पत्ति में वृद्धि से प्राप्त आय (INCOME FROM THE ACCRETON TO ASSETS)

बिना प्रतिफल के हस्तान्तरती को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय हस्तान्तरणकर्ता की आय में कर योग्य होती है। यदि हस्तान्तरती को ऐसा सम्पत्ति की आय से वृद्धि अथवा हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय संचित होती है तो ऐसी आयों को हस्तान्तरणकर्ता की आय में सम्मलित नहीं किया जायेगा तथा ऐसी आय हस्तान्तरिती की आय में सम्मलित करके उस पर कर लगाया जायेगा।

14.8 नकारात्मक आयों (हानियाँ) का इकट्ठा करना [CLUBBING OF NEGATIVE INCOMES (LOSSES)]

हाँनियों को नकारात्मक आय भी कहते है। क्योंकि अन्य व्यक्तियों (हस्तान्तरिती) की आयों को हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ा जाता है, अतः आयों को इकट्ठा करने (Clubbing of Incomes) हेतु नकारात्मक आयों अथवा हानियों का भी ध्यान ऐसी आयों की गणना करते समय रखा जायेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आयों के जोड़ने के प्रावधानों में (Clubbing Provisions) आय के अन्तर्गत हानि को भी शामिल किया जाता है।

14.8.1 बेनामी व्यवहार (Benami Transacton)

जब कोई व्यक्ति किसी अवस्वाविक व्यक्ति अथवा नकली नाम के व्यक्ति से कोई व्यवहार करता है तो इसे बेनामी व्यवहार कहा जाता है तथा जिस व्यक्ति के नाम पर ऐसा व्यवहार किया जाता है उसे बेनामीदार कहते है। इस प्रकार के व्यवहार का उद्देश्य कर बचाना होता है। यदि कर–निर्धारण अधिकारी की सम्मति में कोई व्यवहार बेनामी है तो वह उस व्यवहार की आय वास्तविक व्यक्ति की आय मान सकता है और वह उसी वास्तविक व्यक्ति से उस व्यवहार की आय पर कर वसूल सकता है।

14.8.2 आपसी व्यवहार/हस्तान्तरण (Cross Transfers)

आपसी हस्तान्तरण के अन्तर्गत ऐसे हस्तान्तरणों को शामिल करते है जो आपस में एक दूसरे का प्रतिफल होते है तथा एक दूसरे से एक व्यवहार के साथ, समझौते द्वारा इस प्रकार निकट रूप से जुड़े होते है कि वह इस व्यवहार का अंश बन जाते हैं। अन्य शब्दों में दोनों व्यवहार लगभग एक ही व्यवहार के दो भाग होते है। इस प्रकार के आपसी हस्तान्तरण में आय, माने गये हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ी (Clubb) जायेगी तथा धारा 64 के प्रावधान प्रभावी होगे। आपसी व्यवहार या हस्तान्तरण को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। यदि × द्वारा अपने भाई Y की पत्नी को एक घर क्रय करने के लिये 1,00,000 रू0 नकद का उपहार दिया जाता है और उसी समय Y द्वारा X की पत्नी को अपने अंशों में से कुछ अंशों को उपहार के रूप में दिया जाता है तो इसे आपसी व्यवहार माना जायेगा और X एवं Y की पत्नियों की इस व्यवहार से उत्पन्न आय हस्तान्तरित सम्पत्ति से मानी जायेगी तथा माने गये हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ी (Clubb) जायेगी। इस परिस्थिति में X की पत्नी की आय X की आय में जोड़ी (Clubb) जायेगी और Y की पत्नी की आय Y की आय में जोड़ी (Clubb) जायेगी।

14.9 कर वसूली (RECOVERY OF TAX) धारा-65

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

अन्य व्यक्ति की ऐसी आय जो करदाता की आय मानी गयी हो और उसकी (करदाता की) आय में जोड़ी गयी हो पर आगणित (Computed) कर की राशि करदाता से अथवा अन्य व्यक्ति से वसूली जा सकती है। परन्तु अन्य व्यक्ति का दायित्व ऐसी जोड़ी गयी आय (Clubbed Income) के ऊपर आगणित कर की राशि तक ही सीमित होगा। ऐसे अन्य व्यक्ति का दायित्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग की सूचना (Notice of Demand) दिये जाने के पश्चात ही उत्पन्न होता है।

संयुक्त, हस्तान्तरिती (दो या अधिक व्यक्ति) ऐसे कर के लिये संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

बोध प्रश्न क (भाग अ)

1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये

 a) स्पष्ट न किये गये व्यय, करदाता की .... मानी जायेगी।

 b) यदि सम्पत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के साथ पुत्र की पत्नी को हस्तान्तरित की जाती है तो .... के वाद ऐसी सम्पत्ति की आय हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ी जायेगी।

 c) जब आय का हस्तान्तरण बिना सम्पत्ति के हस्तान्तरण के होता है तो ऐसी आय के जोड़ने (Clubbing) से सम्बन्धित प्रावधान धारा .... में दिये गये है।

 d) आयकर अधिनियम की धारा .... में 'हस्तान्तरण' तथा 'खण्डनीय हस्तान्तरण' परिभाषित किया गया है।

2) बताइये कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य।

 a) मानी गयी आय पर कर की दर 20% है।

 b) एक अवयस्क संतान की आय उस माता अथवा पिता की आय में जोड़ी जाती है जिसकी आय अधिक हो।

 c) पुनः क्रय करने की शर्त के साथ की गयी बिक्री एक 'खण्डनीय हस्तान्तरण' का उदाहरण है।

 d) श्री X अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति को अविभाजित हिन्दू परिवार को हस्तान्तरित कर देता है। ऐसी सम्पत्ति की वार्षिक आय अविभाजित हिन्दू परिवार की आय के रूप में कर योग्य होगी।

3) सही उत्तर चुनिये।

 a) श्री सुगन्ध द्वारा शादी से पूर्व की किसी तिथि पर सुश्री रौनक को एक सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती है। कुछ समय पश्चात श्री सुगन्ध की रौनक से शादी हो जाती है। श्रीमती रौनक ने ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति से 3,50,000 रू0 की आय अर्जित की। 3,50,000 पर कर–देयता किसकी होगीः–

 (i) स्वयं श्रीमती रौनक। (ii) श्रीमती रौनक के पति श्री सुगन्ध। (iii) श्रीमती रौनक के माता–पिता। (iv) उक्त (i), (ii) और (iii) सभी की संयुक्त रूप से।

b) गत वर्ष में एक 15 वर्षीय अवयस्क संतान की विनियोग से आय 12,500 रू0 है। अवयस्क संतान की आय जो माता या पिता की आय में जोड़ी जायेगी वह निम्न में से कौन सी होगीः–

(i) 12,500 रू0 (ii) 11,000 रू0 (iii) 10,000 रू0 (iv) (i), (ii) तथा (iii) में से कोई भी नहीं।

c) हस्तान्तरिती को प्राप्त हस्तान्तरित सम्पत्ति में हुई वृद्धि से उत्पन्न आय में वृद्धि/आय के संचय, पर कर देयता किसकी होगीः–

i) हस्तान्तरणकर्ता।

ii) हस्तान्तरिती।

iii) हस्तान्तरणकर्ता एवं हस्तान्तरिती दोनों।

iv) इनमें से किसी की भी नहीं।

d) एक ससुर (Father-in-law) द्वारा बिना प्रतिफल के अपनी पुत्र वधू (पुत्र की पत्नी) को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय पर कर देयता किसकी होगीः–

i) हस्तान्तरणकर्ता। (Father-in-law)

ii) हस्तान्तरिती। (पुत्र की पत्नी)

iii) पुत्र वधू का पति।

iv) (i), (ii) तथा (iii) सभी।

उदाहरण

भाग–A

उदाहरण 1

श्री विशेष के पास एक मताधिकारी वाले 22% अंशों का स्वामी है। उसकी पत्नी श्रीमती सोमन उसी कम्पनी में 8000 रू0 प्रतिमाह के वेतन पर कार्यरत है। श्री विशेष की कुल अन्य आय 2,00,000 रू0 है जबकि उसकी पत्नी की अन्य कुल आय 1,20,000 रू0 है जिसमें उसके वेतन की आय शामिल नहीं है। कर निर्धारण वर्ष 2025–26 के लिये श्री विशेष की कुल आय की गणना आय के जोड़ने (Clubbing of Income) के प्रावधानों के अन्तर्गत कीजिये।

हल :

कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु कुल आय की गणना

	श्री विशेष		श्रीमती सोनम	
	रू.	रू.	रू.	रू.
अन्य आयें :		2,00,000		
जोड़ियेः श्रीमती सोनम की वेतन से आय (8000×12)	96000			
घटाइये : प्रमाणित कटौतियाँ	50,000	46,000		
श्रीमती सोनम की अन्य कुल आयें				1,20,000
कुल आय		1,54,000		1,20,000

उदाहरण 2

श्री पवन ने सुमन को एक सम्पत्ति बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित की। गत वर्ष 2024–25 में इस हस्तान्तरित सम्पत्ति से 1,00,000 रू0 की आय प्राप्त की निम्न दशाओं में कर निर्धारण वर्ष 2025–26 में 1,00,000 रू0 पर कर भुगतान हेतु कौन उत्तरदायी होगा।

a) यदि पवन सम्पत्ति के हस्तान्तरण के कुछ समय बाद सुमन से विवाह कर ले।

b) यदि पवन द्वारा सुमन से विवाह न किया जाये तथा सम्पत्ति का हस्तान्तरण खण्डनीय हो।

हल

a) क्योंकि सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय सुमन का पवन से विवाह नहीं हुआ था अतः 1,00,000 रू0 की आय पर सुमन का कर देने का दायित्व होगा।

b) क्योंकि सम्पत्ति का हस्तान्तरण खण्डनीय है अतः ऐसी सम्पत्ति पर सुमन (हस्तान्तरिती) द्वारा अर्जित 1,00,000 रू0 की आय पर कर देने का दायित्व पवन (हस्तान्तरणकर्ता) का होगा।

उदाहरण 3

श्री टोनी का व्यवसायिक उपक्रम में सारवान हित है। इसी उपक्रम से टोनी की पत्नी मैरी को 30,000 रू0 का कमीशन प्राप्त हुआ। गत वर्ष में उपक्रम के व्यवसाय से 1,00,000 रू0 की हानि हुई। टोनी 50% लाभ का हिस्सेदार है। टोनी एवं श्रीमती मैरी की अन्य आयें क्रमशः 1,00,000 रू0 तथा 60,000 रू0 हैं। कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु श्री टोनी एवं श्रीमती मैरी की कर योग्य आय की गणना कीजिये।

हल

कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु कर योग्य आय की गणना

	श्री टोनी		श्रीमती मैरी	
	रू.	रू.	रू.	रू.
व्यवसाय अथवा पेशे की आय (हानि)		–50,000		
अन्य स्त्रोतों से आय अन्य आयें	1,00,000			
जोड़िये पत्नी का कमीशन	30,000	1,30,000		
अन्य स्त्रोतो से आय				60,000
कर योग्य आय		**80,000**		**60,000**

उदाहरण 4:

एक परिवार की आय निम्न प्रकार है :

		रू0
i)	श्री सागर की व्यवसाय से आय	2,00,000
ii)	श्रीमती लहर (सागर की पत्नी) की वेतन से आय	2,10,000

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

iii) सागर के अवयस्क पुत्र की ब्याज से आय 20,000

iv) गायन एवं नृत्य से सागर के अवयस्क पुत्र कुन्दन की आय 18,000

v) श्री सागर की अवयस्क पुत्री (सुश्री रोशनी) की विनियोग से आय 22,000

कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु श्री सागर, उनकी पत्नी श्रीमती लहर तथा अवयस्क पुत्र कुन्दन की कुल आय की गणना कीजिये।

हल

कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु कुल आय की गणना

	श्री सागर		श्रीमती लहर		श्री कुन्दन	
	रू0	रू0	रू0	रू0	रू0	रू0
व्यवसाय से आय		2,00,000				
वेतन से आय				2,10,000		
अवयस्क पुत्र की ब्याज से आय			20,000			
घटाइयेः कर मुक्त			1,500	18,500		
अवयस्क पुत्री (सुश्री रोशनी) की विनियोग से आय			22,000			
घटाइयेः कर मुक्त			1,500	20,500		
नृत्य एवं गायन से आय						18,000
कुल आय		2,00,000		2,49,000		18,000

नोटः

i) माता एवं पिता में से श्रीमती लहर की आय अधिक है। अतः अवयस्क पुत्र एवं पुत्री की आय उनकी (लहर) आय में जोड़ी जायेगी।

ii) प्रत्येक अवयस्क संतान हेतु 1500/– रू0 कर–मुक्त है।

iii) यद्यपि कुन्दन अवयस्क है परन्तु उसने अपने कौशल से स्वयं आय अर्जित की है। अतः उसे नहीं जोड़ा गया है।

उदाहरण–5

31.01.2024 को श्री सार्थक अपनी पत्नी श्रीमती श्रीमती संध्या को 3,00,000 रू0 उपहार में देता है। श्रीमती Y 5,00,000 रू0 विनियोजित करके जिसमें 3,00,000 रू0 उपहार के भी शामिल है, 15.02.2024 को व्यापार प्रारम्भ करती है। इस व्यवसाय से वह 31.03.2024 एवं 31.03.2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रमशः 1,20,000 रू0 तथा 3,60,000 रू0 की आय कमाती है। वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 हेतु जोड़ी जाने वाली आय (Income to be clubbed) की गणना कीजिये।

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

हल :

कर निर्धारण वर्ष 2024–25 में सार्थक की आय में जोड़ी जाने वाली आय की गणना

$$\frac{\text{गतवर्ष के प्रथम दिन सार्थक द्वारा उपहार में दी गयी राशि} \times \text{व्यवसाय से आय}}{\text{हस्तान्तरिणी द्वारा गतवर्ष के प्रथम दिन किया गया कुल विनियोग}}$$

$$= \frac{\text{रु. } 3,00,000 \times 1,20,000}{5,00,000} = \text{रु.}72,000$$

कर निर्धारण वर्ष 2025–26 में श्री सार्थक की आय में जोड़ी जाने वाली आय की गणना

$$\frac{\text{वर्ष के प्रथम दिन अपर्याप्त प्रतिफल के साथ हस्तान्तरित सम्पत्ति में से विनियोजित राशि} \times \text{व्यवसाय से आय}}{\text{हस्तान्तरिती द्वारा गतवर्ष के प्रथम दिवस पर कुल विनियोजित राशि}}$$

$$= \frac{\text{रु. } 3,00,000 \times 3,60,000}{6,20,000} = \text{रु.}1,74,194$$

नोटः

i) यह नया व्यवसाय है तथा 1.4.2023 को विद्यमान नहीं था, अतः व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि (15.02.2024) माना जायेगा।

ii) कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु गत वर्ष 01.04.2024 को प्रारम्भ होगा। इस तिथि को कुल विनियोग 3,00,000 रू0 + 2,00,000 रू0 + 1,20,000 = 6,20,000 रू0 होगा अथवा 5,00,000 रू0 उपहार राशि सहित प्रारम्भिक विनियोग + कर निर्धारण वर्ष 2024–25 का 1,20,000 रू0 लाभ की राशि = 6,20,000 रू0।

उदाहरण 6

कर निर्धारण वर्ष 2025–26 के लिये श्री D और उनके परिवार के सदस्यों की कुल आय की गणना निम्न सूचनाओं के आधार पर कीजिये।

		रू0
i)	श्री D की व्यवसाय से आय	3,00,000
ii)	श्रीमती D (D की पत्नी) की वेतन से आय	2,40,000
iii)	D की अवयस्क पुत्री S की नृत्य से आय	2,50,000
iv)	अपने नृत्य की आय में से जमा राशि पर सुश्री S द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि	45,000
v)	श्रीमती D की खाली जमीन से आय, यह जमीन उसके पति ने शादी से पूर्व उपहार स्वरूप दी थी।	30,000
vi)	एक ऐसे फर्म से श्री D के वयस्क पुत्र सुश्री J को प्राप्त वेतन जिसमें श्री D तथा श्रीमती D 10% के साझेदार है	75,000
vii)	उपरोक्त फर्म से श्री D का वेतन	60,000

viii)	उपरोक्त फर्म से श्रीमती D का वेतन	90,000
ix)	श्री D के अवयस्क पुत्र मास्टर H द्वारा लाटरी से प्राप्त राशि	70,000
x)	मे0 B.J Ltd. जिसमें श्री D तथा उनका अविभाजित हिन्दू परिवार 20% समता अंश पूँजी बराबर के अनुपात रखता है से श्रीमती D का वेतन	90,000
xi)	श्री D की मकान सम्पत्ति से आय	48,000
xii)	गत वर्ष में पति द्वारा दिये गये आभूषण के उपहार से श्रीमती D को अल्प कालीन पूँजी लाभ	50,000
xiii)	श्रीमती D को कृष्ण एण्ड कम्पनी से प्राप्त ब्याज, इस विनियोग में 40% राशि पति द्वारा उपहार की गयी थी	20,000
xiv)	श्रीमती D की 5,00,000 रू0 की सम्पत्ति अपने पति को बेचने से आय। इस सम्पत्ति का बाजार मूल्य 700,000 रू0 है।	1,20,000
xv)	मास्टर H द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति	12,000
xvi)	सुश्री S द्वारा अपने नृत्य शिक्षक से प्राप्त नकद उपहार	75,000
xvii)	अपनी पत्नी से प्राप्त मकान सम्पत्ति की आय के विनियोजन से श्री D द्वारा 10% की दर से अर्जित ब्याज	12,000
xviii)	श्री D द्वारा अपने अविभाजित हिन्दू परिवार को 5,00,000 रू0 का ऋण दिया गया जिस पर अविभाजित परिवार 5% ब्याज देता है जबकि ब्याज की बाजार दर 14% है।	25,000
xix)	फर्म का शुद्ध लाभ जिसमें श्री D तथा श्रीमती D प्रत्येक 10% के साझेदार है।	3,00,000

हल :

श्री D की कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2025–26)

	रू0	रू0
मकान सम्पत्ति से आय		
अपनी निधि से प्राप्त सम्पत्ति से प्राप्त किराया	48,000	
पत्नी द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल के साथ हस्तान्तरित सम्पत्ति से किराया जो कि पूर्ण प्रतिफल का अनुपातिक है। (रु. 1,20,000×5,00,000÷7,00,000)	85,714	1,33,714
व्यापर अथवा पेशे से आय		
व्यवसाय से आय		3,00,000
पूँजी लाभ से आय		
श्रीमती D को पति द्वारा उपहार में दिये गये आभूषण		50,000

से अल्प कालीन पूँजी लाभ		
अन्य स्त्रोतों से आय		
श्रीमती D को श्री कृष्णा कम्पनी से प्राप्त ब्याज परन्तु उसमें विनियोजित राशि का 40% उसके पति का है $\left(20000\times\frac{40}{100}\right)$	8,000	
पत्नी से प्राप्त मकान सम्पत्ति के किराये का विनियोग करने से प्राप्त ब्याज (यह जोड़ी गयी आय (clubbed Income) की आय है	12,000	
अविभाजित हिन्दू परिवार से ब्याज 5,00,000रू. पर 5% की दर से (ब्याज की बाजार दर अप्रसांगिक है)	25,000	45,000
सकल कुल आय		5,28,714

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

श्रीमती D की कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2025–26)

		रू0	रू0
वेतन से आयः			
उसके सेवायोजक से वेतन		2,40,000	
मे0 बी0जे0 लि0 से वेतन		90,000	3,30,000
मकान सम्पत्ति से आयः			
अपर्याप्त प्रतिफल के साथ D को हस्तान्तरित सम्पत्ति का अनुपातिक किराया (1,20,000×2,00,000÷7,00,000)		34,286	34,286
व्यवसाय अथवा पेशे से आय			
मि0 D को फर्म से प्राप्त वेतन		60,000	
श्रीमती D का फर्म से वेतन, दोनों साझेदार के रूप में उस जीवन साथी की आय में जोड़ी जायेगी जिसकी आय अधिक हो		90,000	1,50,000
अन्य स्त्रोतों से आय			
खाली जमीन से आय		30,000	
श्री कृष्ण एण्ड कम्पनी से ब्याज (60%)		12,000	
अवयस्क पुत्र मास्टर H की लाटरी से आय (सकल) (रू0 70,000×100÷70)	100,000		
घटाइयेः कर मुक्त धारा 10 (32) के अर्न्तगत	1,500	98,500	98,500

सुश्री S की नृत्य शिक्षक से नकद उपहार की आय 75,000 मिस S को जमा पर ब्याज की राशि (सकल की जायेगी) 45,000×100÷90 50,000 1,25,000 घटाइयः कर मुक्त धारा 10 (32) के अन्तर्गत 1,500	1,23,500	2,64,000
सकल कुल आय		7,78,286

वयस्क पुत्र J की कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2025–26)

रु.

वेतन से आयः	
फर्म से वेतन	75,000
सकल कुल आय	75,000

अवयस्क पुत्री मिस S की कुल आय की गणना
(कर निर्धारण वर्ष 2025–26)

रु.

अन्य स्रोतो से आय :	
नृत्य प्रदर्षन से आय	2,50,000
सकल कुल आय	2,50,000

नोट :

1) धारा 10 (16) के अन्तर्गत छात्रवृत्ति कर मुक्त है।
2) धारा 10 (2 A) के अन्तर्गत फर्म से आय करमुक्त है।
3) जिस माता–पिता की आय अधिक होती है उसकी आय में अवयस्क की आय जोड़ी जाती है।
4) श्रीमती D ने अपने पति को मकान का हस्तान्तरण अपर्याप्त प्रतिफल के बदले में किया है। अतः ऐसे मकान की आय पति–पत्नी के मध्य हस्तान्तरित मकान के मूल्य एवं बाजार मूल्य के अनुपात में बाँटकर जोड़ी जायेगी।
5) मि0 D का बी0जे0 लि0 में सारवाह हित नहीं है (क्योंकि अविभाजित हिन्दू परिवार के हिस्से पर विचार नहीं किया जायेगा)।

अतः श्रीमती D का वेतन (बी0जे0 लिमिटेड) D की आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

14.10 आयों का संकलन (AGGREGATION OF INCOME)

धारा 2 (45) के अन्तर्गत कुल आय से आशय उस कुल आय से है जो कर योग्य होती है तथा जिसकी गणना अधिनियम के प्रावधानों एवं बताई गयी विधियों के अनुसार की गयी हो। इसका आशय यह है कि करदाता की कुल आय में वह सभी आयें शामिल की जाती

है जिस पर उसकी कर देयता हो परन्तु कुछ परिस्थितियों में करदाता की कुल आय में उन आयों को भी शामिल किया जाता है जिस पर आयकर देय नहीं होता। गैर करयोग्य आयों को जोड़ने की प्रक्रिया आयों के संकलन के रूप में जानी जाती है। अधिनियम की धारा 66 के अनुसार 'कर' करदाता की कुल आय की गणना में वह सभी आयें भी शामिल की जायेंगी जिन पर काई आयकर देय नहीं होता। अधिनियम की धारा 86 के अनुसार 'व्यक्तियों के संघ' [Association of Persons (AOP)] अथवा व्यक्तियों के समूह [Body of Individuals (BOI)] की आय में करदता का भाग इस प्रकार की ही आय होता है। उसके इस भाग के जोड़ने सम्बन्धी नियम निम्न प्रकार है:

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

i) यदि कोई करदाता व्यक्तियों के संघ (AOP) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) का सदस्य है तो वह उसकी कुल आय में शामिल की जायेगी परन्तु यदि व्यक्तियों का संघ (AOP) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) द्वारा अपनी आय पर कर देय है तो करदाता को अपने हिस्से की सदस्यता की आय जिसमें पारश्रमिक भी सम्मलित होगा पर आयकर की औसत दर से छूट प्राप्त होगी।

ii) जहाँ कोई करदाता व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह का सदस्य होता है परन्तु वे (संघ अथवा समूह) अपनी कुल आय पर कर देने के लिये उत्तरदायी नहीं होते है तो करदाता व्यक्तियों के संघठन अथवा व्यक्तियों के समूह की आय में से अपनी हिस्से की आय पर छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि करदाता कर देगा।

iii) यदि व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (B.O.I.) पर इस अधिनियम के अधीन कुल आय पर कर की अधिकतम सीमान्तर दर अथवा इससे भी अधिक दर से कर देयता है तो ऐसे व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (B.O.I.) के सदस्य करदाताओं का इनकी (A.O.P. अथवा B.O.I.) आय में हिस्सा सदस्य करदाताओं की आय में नहीं जोड़ा जायेगा। इस प्रकार इस दशा में व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (B.O.I.) की आय में करदाता का हिस्सा कर मुक्त होगा।

14.11 सारांश (भाग अ)

मानी गयी आय के अन्तर्गत नकद साख, अस्पष्ट विनियोग, आभूषण एवं अन्य विविध वस्तुओं को जो करदाता के स्वामित्व में है माना जाता है। इस श्रेणी में अस्पष्ट व्ययों, धन तथा हुन्डी पर लिये गये ऋण अथवा उनके भुगतान को भी सम्मिलित करते है।

जब अन्य व्यक्ति की निम्न आयें करदाता की कुल आय में जोड़ी जाती है तो इसे आयों को इकट्ठा करना कहते है :

1) सम्पत्ति का हस्तान्तरण किये बिना आय का हस्तान्तरण।

2) खण्डनीय हस्तान्तरण के अन्तर्गत हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय।

3) जीवन साथी की आय :

   a) जीवन साथी को ऐसी संस्था से मिला हुआ वेतन, कमीशन आदि जिसमें करदाता का सारवान हित है।

   b) जीवन साथी को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित की गयी सम्पत्ति से आय।

करदाता द्वारा बिना पर्याप्त प्रतिफल से पुत्र–वधू को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय। जीवन साथी के लाभार्थ बिना पर्याप्त प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य संघ को हस्तान्तरित की गयी सम्पत्ति से आय। अविभाजित हिन्दू परिवार को उसके किसी सदस्य द्वारा स्वयं की दी गयी सम्पत्ति की आय ऐसे सदस्य की आय में जोड़ी जायेगी जिसकी वह सम्पत्ति थी।

जीवन साथी अथवा पुत्र वधू द्वारा हस्तान्तरण से प्राप्त सम्पत्ति के विनियोग करने से प्राप्त आय का वह अनुपातिक भाग जो हस्तान्तरिती (जीवन साथी अथवा पुत्र वधू) का है, हस्तान्तरणकर्ता की आय में जोड़ा जायेगा।

एक अवयस्क संतान की आय उस माता अथवा पिता की आय में जोड़ी जायेगी जिसकी आय उन दोनों में अधिक होगी। यह नियम उस दशा में लागू होता है जब माता–पिता में वैवाहिक सम्बन्ध मौजूद हो। यदि वैवाहिक सम्बन्ध विद्यमान न हो तो अवयस्क की आय उस माता या पिता की आय है जोड़ी जाती है, जो उसकी (अवयस्क की) देख–भाल करता है। प्रत्येक अवयस्क बच्चे की आय या 1500 रू0 जो दोनों में कम हो कर–मुक्त होगी। एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपंग अवयस्क संतान की आय माता अथवा पिता की आय में नहीं जोड़ी जाती है।

14.12 शब्दावली

खण्उनीय हस्तान्तरण : सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तान्तरण किया गया हो तो ऐसी सम्पत्ति से उत्पन्न अथवा प्राप्त आय सम्पत्ति हस्तान्तरणकर्ता की मानी जायेगी।

मानी हुई आय : कुछ ऐसी आये एवं राशियाँ है जो प्रत्यक्ष रूप में करदाता की आयें नहीं है पर वे करदाता की आये मानी जाती हैं।

आपसी व्यवहार : आपसी हस्तान्तरण के अन्तर्गत ऐसे हस्तान्तरण को शामिल करते हैं जो आपस में एक दूसरे का प्रतिफल होते हैं तथा एक दूसरे से एक व्यवहार के साथ समझौते द्वारा इस प्रकार निकट रूप में जुड़े होते हैं कि वह इस व्यवहार का अंश बन जाते हैं।

स्पष्ट न किया गया विनियोग : ऐसे विनियोग जिनका लेखा उसने अपनी बही खाते में नहीं दर्शाया है तथा करदाता विनियोजित धन की प्रकृति एवं स्रोत का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है।

बेनामी व्यवहार : जब कोई व्यक्ति किसी अवस्ताविक व्यक्ति अथवा नकली नाम के व्यक्ति से कोई व्यवहार करता है तो इसे बनामी व्यवहार कहा जाता है।

14.13 बोध प्रश्न (भाग 'अ') के उत्तर

क) 1) a) मानी गई आय b) हस्तान्तरण

c) धारा 60 d) धारा 63

2) a) असत्य b) सत्य

c) सत्य d) असत्य

3) a) i) श्रीमती रोनक b) ii) 11,000

c) ii) हस्तान्तरित d) i) हस्तान्तरणकर्ता (ससुर)

14.14 स्वप्रश्न प्रश्न/अभ्यास (भाग- 'अ')

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

1) आय के मिलान से क्या आपका क्या आशय है? किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति की आय दूसरे की आय मानी आती है।

2) अवस्यक के आय को जोड़ने के सम्बन्ध में प्रावधान बताये।

3) श्री राज एवं उसके परिवार के सदस्यों की आय का विवरण निम्न प्रकार है।

	रू.
1. स्वतः अर्जित आय	
i) व्यवसाय से	1,36,000
ii) प्रतिभूतियों पर ब्याज	35,200
2. पत्नी की आय :	
i) पिता द्वारा उपहार में दी गयी मकान सम्पत्ति का किराया	96,000
ii) 2011 में पति द्वारा उपहार में दी गयी प्रतिभूतियों पर ब्याज	36,600
3. वयस्क पुत्र की आय :	
i) वेतन से आय	2,40,000
ii) उसके (पुत्र) के जन्मदिन पर पिता द्वारा उपहार में दी गई मकान सम्पत्ति का किराया	36,000
4. उसके अवयस्क पुत्र की आय :	
(i) व्यवसायिक संस्था से वेतन	60,000
(ii) उसके पिता द्वारा बैंक में जमा FDR पर ब्याज	36,000
5. उसकी अवयस्क पुत्री की आय :	
i) माता द्वारा उसकी (पुत्री) के नाम पर किये गये विनियोग से ब्याज की आय	20,000
ii) उसके दादा द्वारा उपहार में दी गयी मकान सम्पत्ति से किराया	1,20,000

आयकर अधिनियम के आय को जोड़ने के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये, श्री रात और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय की कर निर्धारण वर्ष 2025–26 के लिये गणना कीजिये।

उत्तर: श्रीराज की सकल कुल आये रू0 3,44,800, श्रीमती राज की सकल कुल आय 67,200 रु., राज के वयस्क पुत्र की कुल आय रू0 2,65,200, अवयस्क पुत्र रू0 60,000

4) श्रीमती संध्या अग्रवाल एक डाक्टर है। उसने वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निम्न विवरण सूचित किया है।

i) 70,000 रू0 प्रतिमाह की दर से वेतन

ii) 20,000 रू0 मासिक की दर से पारिवारिक पेंशन

iii) उसके अवयस्क संतान की आय 35,000 रू0

iv) अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसके प्रमाणित भविष्य निधि में संचित राशि 9,00,000 रू0

v) पति की मृत्यु के पश्चात सरकार से प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि 2,00,000 रू0

vi) उसने अपने किराये पर उठे मकान को पुत्र की पत्नी को हस्तान्तरित कर दिया, मकान से किराये की आय 10,000 रू0 प्रतिमाह है।

उसकी कर निर्धारण वर्ष 2025–26 की कर योग्य आय की गणना कीजिये। उसने राज्य सरकार को 2 वर्ष के लिये 4000 रू0 का सेवायोजन कर का भुगतान किया।

उत्तरः कुल आय 11,78,500 रू0

5) एक परिवार की आय निम्न प्रकार है।

		रू0
i)	श्री किशोर की व्यापार से आय	2,07,000
ii)	श्रीमती किशोर की सेवाोजन की आय	1,10,400
iii)	श्री किशोर के पुत्र अमन की कम्पनी से ब्याज की आय विनियोग के लिये धनराशि उसके दादा से प्राप्त हुई थी। अमन अवयस्क है।	13,800
iv)	श्री किशोर के अवयस्क पुत्र अमन की सिनेमा में अभिनय से आय	82,800
v)	श्री किशोर की अवयस्क पुत्री ज्योती की आय	12,650

उपरोक्त में से किसकी आय में बाकी आये जोड़ी जायेगी और उसकी करदेयता को समझाइये तथा कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु श्री किशोर की कुल आय की गणना कीजिये।

उत्तरः श्री किशोर की कुल आय 2,30,450 रू0, श्रीमती K की कुल आय 1,10,400 रू0

उत्तर : मास्टर अमन की कुल आय 82,800 रू0ः

नोट –

1. श्री किशोर एवं श्रीमती किशोर में से श्री किशोर की आय अधिक है अतः अवयस्क पुत्र एवं अवयस्क पुत्री की आय श्री किशोर की आय में जोड़ी जायेगी।
2. अवयस्क पुत्र किशोर की अभिनय से आय उसकी प्रतिभा एवं कौशल से अर्जित है। अतः इसे A की आय मानकर कर लगेगा।
3. श्रीमती किशोर की सेवायोजन की आय व्यक्तिगत है अतः इस पर उसके ऊपर कर अलग से लगेगा।

6) 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये निम्न विवरण से श्री राम एवं उनकी पत्नी श्रीमती सीता की सकल कुल आय की गणना कीजिये।

i) आभूषण का व्यवसाय करने वाली एक फर्म में श्री राम एवं श्रीमती सीता साझेदार है। उनके लाभ का हिस्सा क्रमशः 1,00,000 रू0 तथा 80,000 रू0 था।

ii) 31 अक्टूबर 2024 को अपर्याप्त प्रतिफल के बदले में श्री राम ने अपना एक मकान श्रीमती सीता को हस्तान्तरित किया। सम्पत्ति 5,500 रू0 प्रतिमाह के किराये पर उठी हुई है।

iii) श्री राम एवं श्रीमती सीता के नाम से 2 वर्ष पूर्व क्रमशः 50,000 रू0 एवं 60,000 रू0 के एक कम्पनी के 10% ऋण पत्र क्रय किये गये। इन ऋण पत्रों को क्रय करने हेतु अपनी आय में से 15000 रू0 श्रीमती सीता ने श्री राम को दिये।

iv) पिछले 10 वर्षो में श्री राम ने श्रीमती सीता को 5,00,000 रू0 हस्तान्तरित किये जिस पर उसने गत वर्षो में 2,50,000 रू0 का ब्याज कमाया। उसने गत वर्ष में 7,50,000 रू0 पर 9.5% की दर से ब्याज कमाया।

v) उसने 1,00,000 रू0 का एक ट्रस्ट को हस्तान्तरित किये तथा उस पर 10,000 रू0 की आय कमाई। इस राशि का प्रयोग वह अपने अवयस्क पुत्रों की शिक्षा पर करेगा।

vi) उसका 17 वर्षीय अवयस्क पुत्र मास्टर युग एक अन्य फर्म में निश्क्रिय साझेदार है तथा इस फर्म से उसने गत वर्ष में अपनी आय के हिस्से के रूप में 25,000 रू0 प्राप्त किये।

उत्तरः राम (सकल कुल आय) 86,450 रू., श्रीमती सीता (सकल कुल आय) 50,500 रू.

सहायक संकेतः

1) राम की सकल कुल आय G.T.I.: [(ii) किराया @ रू0 5500], 7 माह हेतु i.e. रू0 38,500 – प्रमाप कटौती @ 30% पर 38,500 + (iii) ब्याज @ 10% 35,000 रू0 पर (50,000-15000)+(iv) ब्याज @ 9.5% पर रू0 5,00,000 रू0 पर + (v) प्रन्यास ब्याज (10,000-1500)+(vi) कर–मुक्त]

2) श्रीमती सीता की सकल कुल आय [(ii) किराया @ रू0 5,500 5 माह हेतु i.e. रू0 27,500 – प्रमाप कटौती @ 30% पर 27,500 + (iii) ब्याज @ 10% रू0 75,000 पर अर्थात (60,000+15000)+ (iv) ब्याज @ 9.5%, 2,50,000 रू0 पर अर्थात (7,50,000-5,00,000)].

3) फर्म की आय में हिस्सा करमुक्त है।

भाग– 'ब'

(हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना)

14.15 आय के शीर्षक एवं आय के स्त्रोत (HEAD AND SOURCE OF INCOME)

जैसा कि पूर्व की इकाई में पहले वर्णित किया गया है कि एक करदाता की आय को निम्न पाँच आय के शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है :

1) 'वेतन' से आय।
2) मकान सम्पत्ति से आय।
3) व्यवसाय अथवा पेश के लाभ।
4) पूँजी लाभ।
5) अन्य स्त्रोतों से आय/अन्य साधनों से आय।

एक आय के शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न आय के स्त्रोत हो सकते है। जब विभिन्न आय के स्त्रोत एक प्रकार की आय के शीर्षक से सम्बन्धित होते है तो इन स्त्रोतो के लिये इसी आय का शीर्षक कहा जाता है। उदाहरण के लिये एक करदाता उप किरायेदार (Sub-tenant) से आय प्राप्त करता है, परामर्श से आय प्राप्त करता है, लाटरी से आय प्राप्त करता है तथा अधिकार शुल्क की आय किसी गत वर्ष में प्राप्त करता है। इनमें से प्रत्येक, आय, आय का स्रोत है परन्तु यह सभी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक से सम्बन्धित है तथा यह सभी चारो आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय के विभिन्न स्त्रोतों के रूप में जोड़ी जायेगी।

14.16 हानि की पूर्ति से आशय (MEANING OF SET OFF OF LOSSES)

एक करदाता के किसी आय के शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न आय के स्त्रोत हो सकते है परन्तु गत वर्ष में यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से प्रत्येक स्त्रोत से आय उत्पन्न होगी। वास्तविकता यह है कि एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें आय के एक शीर्षक में, कुछ स्त्रोत हानि उत्पन्न करें जबकि कुछ अन्य स्त्रोत आय या लाभ प्रदर्शित करे। करदाता पर क्योंकि शुद्ध आय पर कर लगता है अतः इस प्रकार की हानियों को दूसरे स्त्रोतों की आय या लाभ से पूरा किया जाता है। हानियों का यह समायोजन हानियों की पूति करने के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार आय के एक शीर्षक के अन्तर्गत लाभ और दूसरे शीर्षक के अन्तर्गत हानि हो सकती है। इस प्रकार के एक शीर्षक की हानि को भी दूसरे शीर्षक के लाभ से पूरा किया (Set off) जा सकता है।

14.17 हानियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान (PROVISIONS REGARDING SET OFF LOSSESS)

आयकर अधिनियम के हानियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान निम्न प्रकार है :

14.17.1 अन्तर–स्त्रोत समायोजन (पूर्ति) (धारा 70) [Inter Source Adjustment (set off)]:

यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष के अन्तर्गत किसी आय के शीर्षक में स्त्रोत विशेष के सन्दर्भ में शुद्ध परिणाम हानि हो तो ऐसी हानि को उसी आय के किसी दूसरे स्त्रोत से होने वाले

लाभ से पूरा किया जा सकता है। इसे अन्तर स्त्रोत समायोजन कहा जाता है। उदाहरण के लिये, यदि किसी करदाता की 4 मकान सम्पत्तियाँ है, उनमें से तीन सम्पत्तियों से शुद्ध कर–योग्य आय है परन्तु चौथी मकान सम्पत्ति से शुद्ध हानि है। करदाता इस एक मकान सम्पत्ति की हानि को शेष मकान सम्पत्तियों की आय से पूरा कर सकता है। इसी प्रकार यदि एक करदाता के विभिन्न प्रकृति के 4 व्यवसाय है। किसी वर्ष विशेष में उनमें से किन्हीं दो व्यवसायों में हानि और शेष दो व्यवसायों में कर–योग्य लाभ हो तो इन दो व्यवसायों की हानियों को शेष दो व्यवसायों के लाभ से पूरा किया जा सकता है।

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

अपवाद

i) **सट्टे की हानियों** को करदाता द्वारा संचालित केवल अन्य किसी सट्टे के व्यवसाय से होने वाले लाभ से ही पूरा किया जा सकता है।

ii) **कर से छूट प्राप्त स्त्रोत की हानि** को किसी अन्य स्त्रोत की आय से पूरा नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ कृषि–हानि को किसी अन्य स्त्रोत की आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

iii) **घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख–रखाव की गतिविधियों से उत्पन्न हानि** किसी अन्य स्त्रोत की आय से पूरी नहीं हो सकती परन्तु उसी आय के स्त्रोत से इसे पूरा किया जा सकता है।

iv) अन्य व्यवसायों की हानियों को घुड़दौड़ एवं लाटरी आदि की जीत की राशि से पूरा नहीं किया जा सकता।

v) दीर्घकालीन पूँजी हानियों को केवल दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के लाभों से पूरा किया जा सकता है। इसके लिये अल्पकालीन पूँजी लाभ का प्रयोग नहीं हो सकता।

vi) अल्पकालीन पूँजी हानि को किसी भी प्रकार की पूँजी सम्पत्ति के लाभों से (दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों से) पूरा किया जा सकता है।

vii) लाटरी आदि की हानियों को लाटरी की जीत की राशि से अथवा ताश के खेल जैसे अन्य खेलों की जीत की राशि से पूरा नहीं किया जा सकता।

viii) धारा 35 A.D. में सन्दर्भित विशिष्ट व्यवसाय की हानियों को केवल अन्य विशिष्ट व्यवसायों की आय में से ही पूरा किया जा सकता है।

14.17.2 अन्तर शीर्षक समायोजन (पूर्ति) (धारा 71)

यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष में, किसी शीर्षक की आय की गणना का परिणाम हानि है, तो करदाता ऐसी हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की कर योग्य आय में से करने का अधिकारी होगा। यद्यपि इस नियम के कुछ अपवाद भी है जो निम्न प्रकार है–

अपवादः

i) सट्टे के व्यापार की हानि को किसी अन्य आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

ii) धारा 35 A.D. में संदर्भित विशिष्ट व्यवसायों की हानि को केवल उसी प्रकार के विशिष्ट व्यवसायों की आय से ही पूरा किया जा सकता है।

iii) पूँजी लाभ शीर्षक की हानियों को अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।

iv) घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख–रखाव से उत्पन्न हानि को किसी अन्य आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।

v) व्यापार अथवा पेश की हानि को वेतन शीर्षक की आय से पूरा नहीं कर सकते।

vi) किसी भी कर–निर्धारण वर्ष में 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत की हानि किसी भी अन्य आय के शीर्षक से अधिक से अधिक 2 लाख रूपये तक पूरी की जा सकती है।

vii) कर–मुक्त स्त्रोत की हानि को किसी भी कर योग्य आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।

viii) लाटरी से हानि, शर्त से हानि, क्रास वर्ड पहेली (Puzzles) तथा जुआ की हानि को अन्य किसी भी शीर्षक की आय से पूरा नहीं किया जा सकता है और इसी प्रकार से उसी शीर्षक के अन्य स्त्रोत की आय से भी नहीं पूरा किया जा सकता है।

ix) किसी भी स्त्रोत की कोई भी हानि को घुड़दौड़, ताश के खेल, लाटरी आदि की आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

14.17.3 सामान्य व्यवसाय या नगर स्टेट व्यवसायें की हानियों की पूर्ति

सामान्य व्यवसाय के अन्तर्गत सभी गैर–सट्टे के व्यवसायों को शामिल करते है। व्यवसाय अथवा पेशे की किसी भी हानि (सट्टे के व्यवसाय की हानि को छोड़कर) को उसी आय के शीर्षक के किसी अन्य स्त्रोत की आय से अथवा सट्टे के व्यवसाय की आय सहित अन्य शीर्षक की आय से पूरा किया जा सकता है परन्तु इसमें वेतन शीर्षक की आय सम्मलित नहीं होगी।

अवैध व्यवसाय की हानि को वैध व्यवसाय के लाभों से पूरा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि इस प्रकार की हानियों (अवैध–हानियों) को अवैध व्यवसाय के लाभ से पूरा किया जा सकता है। गैर चालू व्यवसाय (बन्द व्यवसाय) की हाँनियों की पूर्ति की जा सकती है।

14.17.4 सट्टे के व्यवसाय की हानियों की पूति (धारा 71(1))

सट्टे के व्यवसाय से सम्बन्धित हानियों की पूर्ति करदाता द्वारा संचालित उसी प्रकार के दूसरे व्यवसाय (सट्टे का व्यवसाय) के लाभों से की जा सकती है। इस प्रकार की हानि की पूर्ति अन्य किसी भी शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती।

14.17.5 विशिष्ट व्यवसायों की हानियों की पूर्ति (धारा 71A) (कर निर्धारण वर्ष 2010–11 से प्रभावी)

धारा 35 A.D. में संदर्भित किसी भी विशिष्ट व्यवसाय के सन्दर्भ में गणना की गयी हानि की पूर्ति यदि अन्य किसी विशिष्ट व्यवसाय में लाभ हो तो उससे ही केवल की जायेगी। इसकी (हानि की) पूर्ति अन्य किसी व्यवसाय की आय से नहीं की जा सकती है।

14.17.6 पूँजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानियों की पूर्ति

पूँजी हानियाँ (a) अल्पकालीन (b) दीर्घकालीन हो सकती है।

a) अल्पकालीन पूँजी हानियों की पूर्ति किसी भी पूँजी लाभ से की जा सकती अर्थात अल्पकालीन पूँजी लाभ अथवा दीर्घ्रकालीन पूँजी लाभ से।

b) दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभ से ही की जा सकती है।

14.17.7 घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रख–रखाव की हानियों की पूर्ति (धारा 74A(1))

किसी करदाता द्वारा, किसी कर–निर्धारण वर्ष में घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख–रखाव की हानि को उसी प्रकार की गतिविधियों (घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रखरखाव) की आय से की जा सकती है। इस प्रकार की हानि को किसी अन्य स्त्रोत की आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

14.17.8 लाटरी, शर्त, जुए, क्रास वर्ड पहेली, अथवा ताश के खेल आदि की हानियों की पूर्तिः

इस प्रकार की हानियों की पूर्ति किसी भी आय से, जिसमें लाटरी की जीत, क्रास वर्ड पहेली, घुडदौड तथा ताश के खेल से आय भी सम्मिलित है, से नहीं की जा सकती है।

14.17.9 साझेदारी फर्म की हानियों की पूर्तिः

फर्म करदाता की दशा में फर्म की हानियों को इसकी (फर्म की) स्वयं की आय से पूरा किया जा सकता है। हानि की पूर्ति के नियम वहीं होंगे जो गैर–फर्म करदाताओं की दशा में लागू होते है और इनका वर्णन इस इकाई में पूर्व में किया जा चुका है। कोई भी साझेदार फर्म की हानि में अपने हिस्से को, स्वयं की व्यक्तिगत आय से पूरा नहीं कर सकता।

14.17.10 व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) की हानियों की पूर्ति

व्यक्तियों के संघों अथवा व्यक्तियों के समूह की हानियाँ, उनकी स्वयं की आय से पूरी की जा सकती है। इनकी हानियों की पूर्ति के नियम सामान्य करदाता की भाँति ही होते है। व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) की हानियों मं इनके सदस्यों के हिस्से को, सदस्यों की स्वयं की आय से पूरा नहीं किया जा सकता।

14.18 हानियों को आगे ले जाना तथा हानियों की पूर्ति से आशय (MEANING OF CARRY FORWARD AND SET OFF OF LOSSES)

जैसा कि पूर्व के पृष्ठों में बताया गया है, हानियों की पूर्ति से आशय उसी वर्ष की आय से हानियों को पूरा करना होता है। यदि किसी कर–निर्धारण वर्ष की हानियों उसी वर्ष की आय से अधिक होती है तो उन्हें सम्पूर्ण रूप में उसी वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में जो हानियाँ पूरा नहीं हो सकी (हानियों का आय पर आधिक्य) उन्हें आगे ले जाया जाता है तथा न पूरी हो सकी हानियाँ (Not set off losses) को अगले वर्षो में पूरा किया जाता है परन्तु शर्त यह है कि हानियों का निर्धारण आयकर विवरणी के अनुसार धारा 139 (1) में दी गयी समय सीमा के अर्न्तगत अथवा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित समयानुसार किया जाना चाहिये। इस प्रक्रिया को हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना कहते है। यदि आयकर विवरणी धारा 139 (1) के प्रावधानों में निर्धारित समय सीमा में न भी दाखिल की आये तब भी मकान सम्पत्तियों की हानियों को आगे ले जाया जा सकता है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

14.19 हाँनियों को आगे ले जाना तथा हाँनियों की पूर्ति सम्बन्धी प्रावधान (PROVISIONS REGARDING CARRY FORWARD AND SET OFF OF LOSSES)

आगामी वर्षो में पूर्ति हेतु सभी हानियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता। आगामी वर्षो में केवल निम्न विशिष्ट हाँनियों को पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

14.19.1 मकान सम्पत्ति से हानि [धारा 71(B)]

'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत हानि किसी अन्य आय के शीर्षक की आय से 2 लाख रू0 तक की पूर्ति कर निर्धारण वर्ष में की जा सकती है। ऐसी हानि का अशोधित (न पूरा हुआ भाग) भाग को मकान 'सम्पत्ति से आय' शीर्षक की आय से पूरा करने हेतु अधिक से अधिक अगले 8 वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है।

14.19.2 सामान्य व्यवसाय/व्यापार की हानियाँ [धारा 72]

यदि सामान्य व्यवसाय की हाँनियों की सम्पूर्ण राशि उसी गत वर्ष में न पूरी की जा सके तब निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत न पूरी की जा सकी हानि की राशि को आगे के वर्षो के लाभों से पूरा कारने हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

- ऐसी न पूरी हो सकी हानियों को केवल व्यवसाय अथवा पेशे के लाभों तथा आयों से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है। अतः यदि न पूरी हुई हाँनियों को आगे के वर्षो में ले जाया जाता है तथा पूरा किया जाता है तो उसे व्यवसाय एवं पेशे के लाभों को छोड़कर अन्य किसी आय के शीर्षक से पूरा नहीं किया जा सकता है।

- ऐसी न परी हो सकी हानियों की पूर्ति को ऐसी व्यापारिक गतिविधियों की आय से भी पूरा किया जा सकता है जो व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत न आती हो।

- ऐसी न पुरी हो सकी हानियों को उस कर–निर्धारण वर्ष से जिसमें प्रथम बार ऐसी हानि की गणना की गयी हो से अगले 8 कर निर्धारण वर्ष तक आगे ले जाया जा सकता है।

- हानि के उत्पन्न होने वाले समय में जो व्यक्ति उसका स्वामी था उसे ऐसी हानि को आगे ले जाने का अधिकार होता है। अतः यदि व्यापार नये स्वामी को हस्तान्तरित कर दिया गया हो तो ऐसे व्यापार के नये स्वामी द्वारा पूरी न हो सकी हानियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

- यदि व्यापार जिसकी हानि पूरी न हो सकी हो न भी चल रहा हो (बन्द हो गया हो) तब भी उसके बन्द होने से पूर्व की ऐसी हानियों को आगे ले जाया जा सकता है तथा व्यापार एवं पेशे के लाभ अथवा आय से पूरा किया जा सकता है।

- धारा (35 AD.) में सन्दर्भित विशिष्ट व्यापार की हानि को इसी प्रकार के अन्य व्यापार की आय से पूरा करने हेतु आगे के वर्षो में ले जाया जा सकता है।

- नैसर्गिक विपत्तियों जैसे बाढ़, चक्रावत आदि के कारण उत्पन्न हाँनियों के कारण यदि कोई व्यापारिक उपक्रम बन्द हो जाता है और बन्द होने के पश्चात 3 वर्ष के अन्दर पुर्नजीवित हो जाता है, तो ऐसे उपक्रम की हाँनियों को पुर्नजीवित व्यापार के लाभों से अथवा अन्य व्यापार के लाभ से पूरा करने हेतु उस वर्ष से जिसमें व्यापार पुनः प्रारम्भ किया जाता है अधिकतम 8 वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है।

- यदि ऐसी हानियों का विस्तृत विवरण धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी में न दिया गया हो तो ऐसी हानियों को आगे ले जाकर पूरा नहीं किया जा सकता। यद्यपि नई शर्तो के पूरा करने पर विवरणी दाखिल करने में विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है।

14.19.3 संचित अथवा एकत्रित हानि (Accumulated Loss) तथा अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)

व्यापारिक हानियों के अतिरिक्त (a) अशोधित ह्रास (b) वैज्ञानिक शोध पर किये गये अशोधित पूँजी व्यय तथा (c) परिवार नियोजन पर अशोधित व्यय जो कि यद्यपि आयकर विधान के अनुसार व्यापारिक हानियाँ नहीं है फिर भी इनको अनिष्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है। इन हाँनियों की पूर्ति 'वेतन' शीर्षक के अतिरिक्त किसी भी अन्य आय के शीर्षक से निम्न क्रम में की जा सकती है।

i) चालू वर्ष का ह्रास [धारा 21 (1)]

ii) मान्य सीमा तक चालू वर्ष में वैज्ञानिक शोध पर पूँजीगत व्यय एवं परिवार नियोजन पर व्यय।

iii) आगे लाये गये व्यापार अथवा पेशे की हानियाँ। [धारा 72 (1)]

iv) अशोधित ह्रास। [धारा 32 (2)]

v) वैज्ञानिक शोध पर अशोधित पूँजीगत व्यय। [धारा 35 (4)]

vi) परिवार नियोजन पर अशोधित व्यय। [धारा 36(1) (ix)]

यह अनिवार्य है कि ऐसी सभी हानियों का विस्तृत विवरण आयकर विवरणी में होना चाहिये तथा विवरणी धारा 139 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत समय से दाखिल होनी चाहिये अन्यथा हानियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। अशोधित ह्रास एवं संचित हानियों को आगे ले जाने के नियम विभिन्न परिस्थितियो में निम्न प्रकार है :

a) एकीकरण की कुछ दशाओं में [धारा 72(A)]

धारा 72 A (1) के अनुसार (i) जहाँ एक ऐसी कम्पनी का एकीकरण दूसरी कम्पनी के साथ हुआ है जिसका स्वामित्व एक औद्योगिक उपक्रम अथवा पानी के जहाज अथवा होटल का है अथवा (ii) जहाँ एक बैकिंग कम्पनी को एक विशिष्ट बैंक से एकीकरण हुआ है अथवा (iii) एक या एक से अधिक ऐसी सार्वजनिक कम्पनी अथवा कम्पनियाँ जो हवाई जहाज के संचालन में संलग्न है, एक या एक से अधिक सार्वजनिक कम्पनी से एकीकरण करती है अथवा ऐसी कम्पनी से एकीकरण करती है जो समान व्यवसाय में लिप्त हो, तो एकीकृत होने वाली कम्पनी की उस गतवर्ष की संचित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास को जो एकीकृत होने वाले वर्ष का है आगे ले जाया जा सकता है। इस प्रकार हानि पूरा करने की कुछ शर्तो के अधीन एकीकृत (Ammalgamated) कम्पनी की हानियों एवं अशोधित ह्रास जो कि एकीकृत (Ammalgamated) कम्पनी का हो आगे ले जाकर पूरा कर सकती है। यदि धारा 72 (i) की शर्तो की पालन नहीं होती है तो अधिकृत कम्पनी को पूरा करने और आगे ले जाने का अधिकार नहीं होगा।

b) अविलियन (Demerger) की कुछ दशाओं में [धारा 72(A)]

धारा 72 A (4) के अन्तर्गत, एक उपक्रम के अविलियन की दशा में, अविलियन हुई कम्पनी की संचित हानि तथा अशोधित ह्रास की छूट को परिणामी कम्पनी (Resulting

Company) द्वारा आगे ले जायी जा सकता है और उसे पूरा किया जा सकता है। अविलियन हुई कम्पनी द्वारा परिणामी कम्पनी को ऐसी संचित हानियों तथा अशोधित ह्रास को हस्तान्तरित किये जाने पर, परिणामी कम्पनी द्वारा उसे आगे ले जाया जा सकता है तथा पूरा किया जा सकता है।

c) **उत्तराधिकार की दशा में एक फर्म या एकाकी व्यवसाय का कम्पनी द्वारा लिया जानाः**

धारा 72 A (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब किसी फर्म या एकाकी व्यक्ति का व्यवसाय एक कम्पनी द्वारा कुछ शर्तो को पूरा करते हुये ले लिया जाता है तब पूर्व के फर्म या एकाकी व्यक्ति के व्यवसाय की संचित हानि तथा अशोधित ह्रास को कम्पनी के उस वर्ष के लिये हानि एवं ह्रास की छूट हेतु माना जाता है जिस वर्ष में यह पुनर्गठन हुआ हो तथा हानि एवं अशोधित ह्रास को आगे ले जाने के प्रावधान तद–अनुसार लागू होंगे।

d) **उत्तराधिकार की दशा में एक निजी कम्पनी अथवा एक गैर सूचीबद्ध कम्पनी को सीमित दायित्व साझेदारी (LPP) द्वारा लिया जाना :**

धारा 72 A (6A) के अन्तर्गत यदि व्यवसाय के पुनर्गठन के कारण एक निजी कम्पनी अथवा गैर–सूचीबद्ध कम्पनी धारा 47 (xiii b) की शर्तो को पूरा करते हुये एक सीमित दायित्व साझेदारी के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त करती है तो पूर्व की कम्पनी की संचित हानियों तथा अशोधित ह्रास को सीमित दायित्व साझेदारी का उस गत वर्ष की हानि एवं ह्रास की छूट माना जायेगा जिसमें ऐसा उत्तराधिकार हुआ हो तथा हानि को आगे ले जाने एवं हानि की पूर्ति तथा ह्रास के आगे ले जाने एवं उसकी पूर्ति सम्बन्धी अन्य प्रावधान सामान्य प्रकार से परिस्थिति अनुसार लागू होंगे।

e) **कुछ दशाओं में बैकिंग कम्पनी के एकीकरण की योजना [धारा 72(AA)]**

धारा 72 –A-A के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी स्वीकृत एवं लागू योजना के आधीन एक बैकिंग कम्पनी का किसी दूसरी बैकिंग संस्था के साथ एकीकरण होता है तो, आयकर अधिनियमन के हानियों के आगे ले जाने तथा उनकी पूर्ति सम्बन्धी नियम सामान्य रूप में परिस्थिति अनुसार लागू होंगे।

f) **सहकारी बैंकों के व्यवसायिक पुनर्गठन की दशा में [धारा 72(AB)]**

धारा 72 AB के प्रावधानों के अधीन, यदि दो सहकारी बैंकों का एकीकरण होता है तो पूर्व की सहाकारी बैंक की संचित हानि एवं अशोधित ह्रास को उत्तराधिकारी (वाद वाली) सहकारी बैंक द्वारा संचित हानि एवं अशोधित ह्रास को आगे ले जाया जा सकता है तथा पूरा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हांनियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाकर पूर्ति करने से सम्बन्धित अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।

14.19.4 सट्टे की हानियाँ [धारा 73]

यदि सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष में सट्टे के अन्य व्यापार की आय से नहीं होती है तो पूरी न हो सकने वाली हानि को अगले वर्षो में सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है। इस प्रकार की न पूरी हुई हानि को जब हानि प्रथम बार आगणित की गयी थी तब से अधिकतम अगले 4 कर–निर्धारण वर्षो में आगे ले जाया जा सकता है।

14.19.5 विशिष्ट व्यवसायों की हानि [Losses of Specified Business] [धारा 73(A)]

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

धारा 73 A के अनुसार, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में, यदि विशिष्ट व्यवसाय के सम्बन्ध में किसी हानि की गणना की जाती है और ऐसी हानि का उसी कर निर्धारण वर्ष में किसी अन्य विशिष्ट व्यवसाय के लाभ से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में पूरा नहीं किया जा सकता है तो ऐसी न पूरी हो सकी हानि को आगामी वर्षों में ले जाया जा सकता है तथाः

i) करदाता द्वारा इसे किसी चालू विशिष्ट व्यवसाय के कर निर्धारण वर्ष हेतु कर योग्य लाभ से पूरा किया जा सकता है।

ii) यदि हानि की पूर्ति पूर्णतः नहीं की जा सकती है तो न पूरी हुई हानि को विशिष्ट व्यवसाय के लाभ से पूरा करने हेतु तब तक आगामी वर्षों में ले जाया जायेगा जब तक कि उसकी (हानि की) सम्पूर्ण राशि की पूर्ति न हो जाये।

14.19.6 पूँजी हानियाँ [Capital Looses] [धारा 74]

a) किसी गत वर्ष की न पूरी हो सकी अल्पकालीन पूँजी हानि को, दीर्घकालीन पूँजी लाभ अथवा अल्पकालीन पूँजी लाभ से पूरा करने हेतु जिस वर्ष हानि हुई थी उससे अधिक से अधिक 8 कर निर्धारण वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है।

b) किसी गत वर्ष की न पूरी हो सकी दीर्घकालीन पूँजी हानि को, दीर्घकालीन पूँजी लाभ से पूरा करने हेतु, जिस वर्ष हानि हुई थी उससे अधिक से अधिक 8 कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।

14.19.7 घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रख–रखाव की हानियाँ [Losses on Account of Owning and Maintaining Race Horses] [धारा 74A]

घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रख–रखाव की न पूरी हुई हानियों को अधिक से अधिक उस कर निर्धारण वर्ष से जिसमें प्रथम बार हानि की गणना की गयी थी 4 कर निर्धारण वर्ष तक घुड़दौड़ के स्वामित्व एवं उनके रख–रखाव के लाभों से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जायेगा बशर्ते कि घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और उनके रख–रखाव की गतिविधियाँ उस वर्ष तक जारी रहें जिसमें हानि पूरी की जाती है। यदि गतिविधियाँ बन्द कर दी जाती है तो ऐसी हानि को पूरा नहीं किया जा सकता।

14.19.8 फर्म की हानियाँ [Losses of Firm]

साझेदार द्वारा फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त किया जाता है और यह करमुक्त होता है परन्तु फर्म की हाँनियों में साझेदारों का कोई हिस्सा नहीं होता। सामान्य रूप से साझेदारी फर्म की हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाने सम्बन्धी नियम वही है जो सामान्य व्यवसाय हेतु होते है तथा उनका विवरण पूर्व के पृष्ठों में किया जा चुका है परन्तु कुछ मुख्य बिन्दु इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार हैः–

i) फर्म केवल अपनी हाँनियों को पूरा कर सकती है तथा न पूरी हुई हाँनियों को पूरा करने के लिये आगे ले जा सकती है परन्तु फर्म साझेदारों की हानियों के सम्बन्ध में

ऐसा नहीं कर सकती है।

ii) फर्म की न पूरी की जा सकी व्यवसायिक हॉनियों को अगले 8 कर निर्धारण वर्षो तक व्यावसायिक लाभों/आयों से पूरा करने हेतु आगे ले जा जा सकता है।

iii) अशोधित ह्रास, वैज्ञानिक शोध पर पूँजीगत व्यय तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी पूँजीगत व्ययों को बाद के कर निर्धारण वर्षो में तब तक आगे ले जाया जा सकता है जब तक ऐसे व्ययों/ह्रास की पूर्ति न हो जाये। सरल शब्दों में इन्हें आगे ले जाने की कोई समय सीमा नहीं है।

14.19.9 फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर फर्म की हानियाँ [Losses of Firm in Case of Change in Constitution] [धारा 78(1)]

निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में एक फर्म के संगठन में परिवर्तन हुआ माना जायेगा :

i) फर्म के किसी एक या अधिक साझेदारों की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण हो जाने पर

ii) फर्म के एक या अधिक साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर,

iii) फर्म में एक या अधिक साझेदारों का प्रवेश होने पर

iv) साझेदारों के लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होने पर।

यदि किसी साझेदारी फर्म के संगठन में कोई परिवर्तन उपर्युक्त परिस्थितियों में से नं. (i) परिस्थिति में हुआ है तो अवकाश प्राप्त अथवा मृतक साझेदार के हिस्से की हानि को आगे ले जाने तथा उसकी पूर्ति करने का अधिकार समाप्त हो जाता है।

14.19.10 फर्म के उत्तराधिकार में परिवर्तन की दशा में हानियाँ [Losses in Case of Change in Succession of Firm] [धारा 78(2)]

यदि किसी फर्म की हानियाँ स्वामित्व परिवर्तन से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है तो इस प्रकार की हानियों को स्वामित्व परिवर्तन के पश्चात की अवधि में, नये स्वमी द्वारा आगे के वर्षो में ले जाकर पूरा नहीं किया जा सकता है।

14.19.11 विरासत में परिवर्तन के कारण व्यवसायिक उत्तराधिकार सम्बन्धी हानियों की दशा में [Losses in Case of Change in Succession in Business By Inheritance]

यदि उत्तराधिकार में परिवर्तन, विरासत में हुये परिवर्तन के कारण होता है तो उत्तराधिकार परिवर्तन से पूर्व की अवधि की हॉनियों को उत्तराधिकारी द्वारा आगे ले जाकर, उत्तराधिकार के परिवर्तन के बाद के वर्षो के लाभ से पूरा किया जा सकता है।

14.19.12 कुछ कम्पनियों की दशा में हानियाँ [Losses in Case of Certain Companies] [धारा 79]

i) एक ऐसी कम्पनी की दशा में जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है और गत वर्ष में कम्पनी के अंशधारियों में परिवर्तन हो जाये तो गत वर्ष से पूर्व के वर्षो की हॉनियों को गत वर्ष के लाभों से पूरा किया जा सकता है परन्तु शर्त यह है कि जिस वर्ष में हानि हुई हो उस वर्ष के अन्तिम दिन 51% प्रतिशत का मताधिकार रखने वाले

अंशधारी पुराने ही होने चाहिये और परिवर्तन अल्प मताधिकार रखने वाले अंशधारियों में होना चाहिये।

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

ii) धारा 80-I AC के अन्तर्गत सन्दर्भित यदि कोई योग्य प्रारम्भिक कम्पनी (Eligible Start-up Company) जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है की ऐसी हानियाँ है जो गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में हुई हो तो उन्हें आगे ले जाया जायेगा और गत वर्ष की आय से पूरा किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि जिस वर्ष में हानि हुई हो उस वर्ष के अन्तिम दिन सभी मताधिकार रखने वाले अंशधारी

   a) उक्त गत वर्ष के अन्तिम दिन भी अंशधारी बने रहे।

   b) इस प्रकार की हानि कम्पनी को, कम्पनी के समामेलन के वर्ष के प्रारम्भ से 7 वर्षो की अवधि के मध्य होनी चाहिये।

अंशधारियों में परिवर्तन यह प्रावधान निम्न दशाओं में लागू नहीं होंगे।

i) अंशधारियों में परिवर्तन, अंशधारी अथवा अंशधारियों की मृत्यु के कारण हुआ हो।

ii) अंशधारियों में परिवर्तन किसी अंशधारी द्वारा अपने किसी सम्बन्धी को उपहार के रूप में अंशों के हस्तान्तरण के कारण, हुआ हो।

14.19.13 लाटरी, क्रासवर्ड पहेली, जुआ तथा शर्त इत्यादि के कारण हाँनियाँ [Losses of Lottery, Crossword Puzzles, Gambling and Betting Etc.]

इन हाँनियों को न तो आगे ले जाया जा सकता है और न ही इन हाँनियों की पूर्ति किसी भी आय से की जा सकती है। हालाँकि ऐसी हानियों की पूर्ति उसी वर्ष की जा सकती है जिसमें वे समान स्रोतों का आय के विरुद्ध हुए थे।

14.19.14 व्यक्तियों के संगठन/संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की दशा में हानियाँ [Losses in Case of Association of Persons (AOP) or Body of Individuals (BOI)]

व्यक्तियों के संघ (AOP) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) की हाँनियों को इनके स्वयं के द्वारा पूरा करने हेतु आगे ले जाया जायेगा। इन्हें अपनी हाँनियों को सदस्यों के मध्य बाँटने का अधिकार नहीं है। अन्य शब्दों में इनके सदस्यों को अपनी व्यक्तिगत आय से इन हानियाँ को पूरा करने का अधिकार नहीं है। अन्य शब्दों में व्यक्तियों संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की हाँनियाँ यदि इन्हीं की आय के किसी शीर्षक की आय से पूरी नहीं की जा सकती तो इनके सदस्यों को अपनी व्यक्तिगत आय से ये हानियाँ पूरा करने का अधिकार नहीं है।

14.19.15 बोनस अनावृत्त (Bonus stripping) के कारण उत्पन्न हाँनियाँ [Losses Arising in Case of Bonus Stripping] [धारा 94(8)]

बोनस अनावृत एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक सूचीबद्ध कम्पनी की इकाईयों (Units) का क्रय–विक्रय का व्यवहार इस प्रकार किया जाता है जिससे ऐसी अल्पकालीन पूँजी हानि होती है जिसे अन्य किसी पूँजी लाभ से समायोजित किया जा सकता है।

बोनस अनावृत के अन्तर्गत, अंशधारियों द्वारा कम्पनी के अधिलाभांश (Bonus) की घोषणा से पूर्व इकाईयाँ क्रय कर ली जाती है। बोनस इकाईयों के कम्पनी द्वारा निर्गत किये जाते ही विनियोक्ता द्वारा अधिलाभांश (Bonus) से पूर्व की इकाईयां को बेच दिया जाता है। इसके

फलस्वरूप अल्पकालीन पूँजी हानि हो सकती है। बाद में वे एक वर्ष बाद अधिलाभांश इकाईयों (Bonus Units) का भी विक्रय कर देते है। इस स्थिति में अंशधारियों को द्विस्तरीय लाभ हो सकता है :

i) मूल इकाईयों (अधिलाभांश से पूर्व की) के विक्रय से उत्पन्न होने वाली अल्पकालीन पूँजी हानि को किसी भी पूँजी लाभ से पूरा किया जा सकता है।

ii) अधिलाभांश इकाईयों के विक्रय से उत्पन्न दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर 10% की कर से छूट (कमी) का लाभ उठाया जा सकता है।

बोनस अनावृत की प्रथा को रोकने के दृष्टिकोण से धारा 94 (8) को जोड़ा गया है। इस धारा के अनुसार यदि कोई विनियोक्ता रिर्कोड तिथि (जिस तिथि को अधिलाभांश इकाई का आवंटन किया गया हो) के पश्चात 9 माह की अवधि में सभी अथवा कुछ मूल इकाईयों को बेचता है या हस्तान्तरित करता है परन्तु अधिलाभांश की सभी या कुछ इकाईयों को अपने पास रोके रखता है तो कर योग्य आय की गणना करते समय ऐसे विक्रय या हस्तान्तरण से होने वाली किसी हानि पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तथा उक्त हानि को (जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता) अधिलाभांश इकाईयों की क्रय की लागत या प्राप्त करने की लागत माना जायेगा। इस प्रकार मूल इकाईयों पर होने वाली हानि को अंशधारियों द्वारा अन्य पूँजी लाभों से पूरा नहीं किया जा सकेगा।

14.19.16 हानियों की विवरणी [Return of Losses] [धारा 74]

जब तक कि करदाता द्वारा धारा 139 (3) के प्रावधानों का पालन करते हुये निर्धारित तिथि अथवा बढ़ाये गये अनुमोदित समय के अन्दर आगणित हानि की विवरणी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक किसी भी हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता है और न ही ऐसी हानि की पूर्ति की जा सकती है। यद्यपि कुछ शर्तो को पूर्ण करने पर विवरणी के निर्धारित समय सीमा के बाद अथवा स्वीकृत समय सीमा के बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है और विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है।

14.19.17 पूर्ति क्रम [Order of Set off]

जब करदाता ह्रास, पूँजी व्यय तथा आगे लायी गयी हानियों इत्यादि के सम्बन्ध में कटौती मांगने का अधिकारी हो, तो कटौती का क्रम निम्न प्रकार होगा–

i) वर्तमान वर्ष का ह्रास (धारा 32 (1))।

ii) अनुमोदित सीमा तक वैज्ञानिक अनुसंधान तथा परिवार नियोजन पर पूँजीगत व्यय।

iii) आगे लाये गये व्यवसाय अथवा पेशे की हाँनियाँ (धारा 72 (1))।

iv) अशोधित ह्रास (धारा 32 (2))।

v) वैज्ञानिक अनुसंधान पर अशोधित पूँजी व्यय। [धारा 35(a)]

vi) परिवार नियोजन पर अशोधित पूँजीगत व्यय। [धारा 36 (i) (ix)]

बोध प्रश्न (भाग B)

क) 1) निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान भरिये :

i) हाँनियों की पूर्ति से आशय .... .वर्ष की आय से पूर्ति करने से है।

ii) किसी एक शीर्षक के ही अन्तर्गत एक स्त्रोत की हाँनियों की पूर्ति दूसरे स्त्रोत के आय से करने पर इसे .... कहा जाता है।

iii) ऐसी व्यवसायिक हाँनियों जो उसी कर निर्धारण वर्ष में किसी भी आय से पूरी न की जा सके तो उन्हें ....वर्षो तक पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

iv) जिन पूँजी हाँनियों की पूर्ति उसी कर निर्धारण वर्ष की अन्य आयों से न की जा सके उन्हें पूरा करने हेतु .... वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है।

v) अल्पकालीन पूँजी हानि की पूर्ति .... से की जा सकती है।

2) बताइये निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है :

i) सट्टे के व्यवसाय की हाँनियों नियमित व्यवसाय के लाभों से पूरी की जा सकती है।

ii) गैर–सट्टे (नियमित) के व्यवसाय की हाँनियों को सट्टे के व्यवसाय के लाभों से पूरा किया जा सकता है।

iii) जब अन्तर स्त्रोत समायोजन समाप्त होते है तो अन्तर शीर्षक समायोजन प्रारम्भ होते है।

iv) गैर कानूनी व्यवसाय की हाँनियों को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

v) यदि एक गैर सट्टे का व्यवसाय बन्द कर दिया जाता है तो इसकी आगे लायी गयी हाँनियों को किसी अन्य गैर सट्टे के व्यवसाय के लाभ से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

vi) वर्ष 2017–18 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बन्द हुये व्यवसाय की हाँनियों को आगे ले जाया जा सकता है।

3) निम्न में से सही उत्तर बताइये :

i) मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की चालू वर्ष की हाँनियों को निम्न किस आय से पूरा किया जा सकता है?

a) वेतन से आय। b) गैर–सट्टे के व्यवसाय से आय।

c) सट्टे के व्यवसाय की आय d) उक्त सभी आयों से।

ii) सट्टे की हानि को पूरा करने हेतु कितने वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है:

a) 4 वर्ष (b) 8 वर्ष

c) 2 वर्ष (d) 10 वर्ष

iii) निम्न शीर्षक में हानि को आय से पूर्ति नहीं की जा सकती है।

a) मकान सम्पत्ति से आय (b) पूँजी लाभ शीर्षक से आय

c) व्यावसाय एवं पेशे से आय (d) इनमें से कोई नहीं

iv) मकान सम्पत्ति की हानि को कितने वर्षो तक पूरा किया जा सकता है :

a) अगले 4 वर्षो में (b) अगले 8 वर्षो में

c) अनिश्चित कालीन (d) पूरा नहीं किया जा सकता।

उदाहरण 1

श्री X जो कि एक व्यक्ति करदाता है, कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु निम्न सूचनायें प्रदत्त करता है:

	रू0		रू0
वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय	+2,00,000	खाद्यान का व्यवसाय	+1,00,000
प्रतिमूर्तियों पर ब्याज	-50,000	पेठा व्यवसाय	-1,50,000
मकान सम्पत्ति से आय:		सट्टा व्यवसाय	-50,000
मकान 'A' (किराये पर उठा)	+2,00,000	**कर योग्य पूँजी लाभ**	
मकान 'B' (किराये पर उठा माना गया)	-1,00,000	अल्पकालीन लाभ	+1,00,000
मकान 'C' (स्वयं के रहने हेतु उधार की पूँजी पर ब्याज हेतु)	-50,000	अल्पकालीन हानि	-2,00,000
व्यवसाय एवं पेशे की आय		दीर्घकालीन लाभ (भूमि एवं भवन)	+2,00,000
		अन्य स्त्रोतों से आय:	
कपड़े का व्यवसाय	+1,00,000	लाश के खेल से आय	+1,00,000
		घुड़दौड़ के घोड़ो के रख–रखाव से आय	- 50,000

X की कर योग्य आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2025–26 कीजिए:–

हल :

श्री X की कर योग्य आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2025–26)

विवरण		हानि (रू0)	लाभ (रू0)
वेतन से आय			2,00,000
मकान सम्पत्ति से आय	रु.		
मकान 'A' (किराये पर उठा)	+ 2,00,000		
मकान 'B' (किराये पर उठा माना गया)	- 1,00,000		
मकान 'C' (स्वयं के रहने हेतु)	- 50,000		50,000
व्यवसाय अथवा पेशे की आय :			
कपड़े का व्यवसाय	+ 1,00,000		
खाद्यान्न व्यवसाय	+ 1,00,000		
पेठा व्यवसाय	- 1,50,000		50,000
सट्टा व्यवसाय की हानि		50,000	

पूँजी लाभ			
अल्पकालीन पूँजी लाभ	+ 1,00,000		
अल्पकालीन पूँजी हानि	- 2,00,000		
दीर्धकालीन पूँजी लाभ	+ 2,00,000		1,00,000
अन्य स्त्रोतो से आयः			
ताष का खेल	+ 1,00,000		
घटाइयेः प्रतिभूति के ब्याज की हानि	- 50,000		50,000
घोड़ों का रख–रखाव (हानि)		50,000	
हानि आगे ले गये		1,00,000	
करयोग्य आय		-	4,50,000

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

नोट :

1) 50000 रू0 की सट्टे व्यवसाय की हानि को सट्टे के व्यवसाय के लाभ से ही पूरा कर सकते है।

2) घुड़दौड़ के घोड़ों सम्बन्धी हानि (50,000 रू0) उसी प्रकार के स्त्रोत की आय से पूरा लिया जा सकता है।

3) 2,00,000 रू0 की अलपकालीन पूँजी हानि को अल्पकालीन एवं दीर्धकालीन पूँजी लाभ से पूरा किया गया है।

उदाहरण 2

निम्न सूचनाओं से श्री महेश की कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु कर–योग्य आय की गणना कीजिये।

	विवरण	रू0
i)	वेतन से आय	4,00,000
ii)	मकान सम्पत्ति से आय	80,000
iii)	धारा 35 A.D. में संदर्भित विशिष्ट व्यवसाय की हानि	(-) 60,000
iv)	व्यवसायिक हानि	(-) 3,80,000
v)	अल्पकालीन पूँजी हानि	(-) 1,20,000
vi)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,80,000

हल :

कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2025–26)

विवरण		रू0	रू0
वेतन से आय			4,00,000
मकान सम्पत्ति से आय		80,000	
घटाइये पूरी की गई व्यवसायिक हानि		(-)20,000[2]	60,000
व्यवसायिक हानि		3,80,000	
धटाइयेः पूंजी लाभ से पूर्ति (480000 रू.–1,20,000रू.)	3,60,000		
मकान सम्पत्ति की आय से पूर्ति	20,000	3,80,000	शून्य
(विशिष्ट व्यवसाय की हानि नहीं घटा सकते)		(-) 60,000	
पूँजी लाभ से आय :			
दीर्घकालीन पूँजी लाभ		4,80,000	
घटाइयेः अल्पकालीन पूँजी हानि		1,20,000	
		3,60,000	
घटाइयेः व्यवसायिक हानि की पूर्ति		3,60,000	शून्य
सकल कुल आय			4,60,000
घटाइयेः धारा 80 के अर्न्तगत कटौतियाँ			शून्य
		कुल आय	रु. 4,60,000

नोट :

		रु.
1) दीर्घकालीन पूँजी लाभ		4,80,000
घटाइये : अल्पकालीन पूँजी हानि		1,20,000
		3,60,000
दीर्घकालीन पूंजी लाभ की शेष राशि से व्यवसायिक हानि पूरी की जायेगी		3,60,000
	शेष	शून्य

2) व्यवसायिक हानि का शेष 20,000 रू0 (3,80,000–3,60,000) मकान सम्पत्ति की आय से पूरा होगा।

3) व्यवसायिक हानि की पूर्ति वेतन की आये से नहीं की जा सकती है।

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

उदाहरण 3

श्री शमीम के निम्न आय एवं हानियों के विवरण से उसकी कर निर्धारण वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 हेतु कुल आय की गणना कीजिये।

	विवरण	2024-25 (रू0)	2025-26 (रू0)
i)	व्यवसाय की लाभ एवं हानि	- 1,02,000	+ 20,000
ii)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	+ 36,000	+ 24,000
iii)	सरकारी प्रतिमूर्तियों पर ब्याज	+ 30,000	+ 36,000
iv)	मकान सम्पत्ति से आय	+ 24,000	+ 24,000
v)	अन्य स्त्रोतों से आय	+ 6,000	+ 8,000
vi)	कोल्ड चेन सुविधा की स्थापना एवं संचालन से आय (धारा 35 A.B. के अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसाय)	- 50,000	+ 35,000

हल :

श्री शमीम की कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2024–25)

विवरण		हानि (रू0)	लाभ (रू0)
मकान सम्पत्ति से आय		-	24,000
व्यवसाय अथवा पेशे की आय		-1,02,000	-
विशिष्ट व्यवसाय से आय		-50,000	-
दीर्घकालीन पूँजी लाभ			36,000
अन्य स्त्रोतों से आय	**रू0**		
सरकारी प्रतिभूतियों से आय	30,000		
अन्य स्त्रोतों की आय	6,000		36,000
			96,000
घटाइयेः चालू वर्ष की व्यावसायिक हानि			-1,02,000
विशिष्ट व्यवसाय की हानि को विशिष्ट व्यवसाय के लाभ से ही पूरा किया जायेगा अतः इसे आगे ले जाया जायेगा।		-50,000	
व्यावसायिक हानि आगे ले गये			-6,000

कर निर्धारण वर्ष 2025–26

	रू0	रू0
मकान सम्पत्ति से आय	-	24,000
व्यवसाय अथवा पेशे से आय	20,000	-
घटाइयेः वर्ष 2021–22 की हानि की पूर्ति	-6,000	14,000
विशिष्ट व्यवसाय की आय	35,000	
घटाइयेः वर्ष 2021–22 के विशिष्ट व्यवसाय की हानि को आगे लाकर पूरा किया	-50,000	
विशिष्ट व्यवसाय की शेष हानि आगे ले गये	-15,000	
दीर्घकालीन पूँजी लाभ		24,000
अन्य स्त्रोतो से आयः		
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	36,000	
अन्य स्त्रोतों से आय	8,000	44,000
सकल कुल आय		1,06,000

नोट :

1) कर निर्धारण वर्ष 2024–25 की व्यवसायिक हानि उसी वर्ष (2024–25) में किसी भी आय शीर्षक से पूरी की जा सकती है, परन्तु आगे ले जाने के कारण वर्ष 2025–26 में केवल व्यवसायिक लाभ से ही पूरा कर सकते है।

2) धारा 35 A.D. के तहत विशिष्ट व्यवसाय के नुकसान को बाद के वर्षों के दौरान समायोजित किया जा सकता है। रुपये का नुकसान का निर्धारण वर्ष 2024–25 से 50,000 सी/एफ को 2025–26 के दौरान 35,000 रुपये की सीमा तक सेट किया जा सकता है। 15,000 की आगे ले जाया जाएगा।

उदाहरण 4

श्री शम्भू द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु अपनी आयों एवं हानियों की निम्न सूचनायें प्रदान की गयी हैः

	विवरण	रु.
i)	वेतन की कर योग्य आय	50,000
ii)	मकान सम्पत्ति से आय (षुद्ध)	16,000
iii)	निर्मित वस्त्र व्यवसाय का लाभ	40,000
iv)	सट्टे के लाभ	10,000
v)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	24,000
vi)	अल्पकालीन पूँजी लाभ	8,000
vii)	साझेदारी फर्म से लाभ का हिस्सा	7,800
viii)	चालू वर्ष का ह्रास	4,500

कर निर्धारण वर्ष 2021–22 से आगे लाये गये मद निम्न प्रकार है :

		रू.
i)	अशोधित ह्रास	5,000
ii)	सट्टे की हानि	15,000
iii)	दीर्घकालीन पूँजी हानि	15,000
iv)	अल्पकालीन पूँजी हानि	6,000

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु श्री शम्भू की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

हल :

श्री शम्भू की सकल कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2025–26)

विवरण	हानि (रू.)	लाभ (रू.)
1. वेतन से कर योग्य आय		50,000
2. मकान सम्पत्ति से आय		16,000
3. व्यवसाय से आय		
a) बगैर सट्टे की आयः		
i) निर्मित वस्त्र व्यवसाय की आय	40,000	
ii) धारा 10 (2) (A) के अर्न्तगत फार्म से लाभ–करमुक्त	–	
	40,000	
घटाइयेः चालू वर्ष का ह्रास	(-) 4,500	
	35,500	
घटाइयेः संशोधित ह्रास की पूर्ति आगे लायी गई	(-) 5,000	30,500
b) सट्टे से आयः		
सट्टे के व्यवसाय से लाभ	10,000	
घटाइयेः लाभ की सीमा तक सट्टे की हानि की पूर्ति	10,000	शून्य
सट्टे की हानि के शेष 5000 रू0 को आगे ले जाया जायेगा।		
4. पूँजी लाभः		
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	24,000	
घटाइयेः दीर्घकालीन पूँजी हानि	15,000	
	9,000	
जोड़ियेः अल्पकालीन पूँजी हानि समायोजन के पश्चात अल्पकालीन पूँजी लाभ (8000–6000)	2,000	11,000
सकल कुल आय	रू.	1,07,500

नोटः साझेदार के लाभ का हिस्सा कर–मुक्त है।

उदाहरण 5

श्री कपिल द्वारा प्रदत्त निम्न सूचनाओं के आधार पर उसकी कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु सकल कुल आय की गणना कीजिए।

विवरण	रू.
1. मकान सम्पत्ति से आय	30,000
2. निम्न छूटों की कटौती से पूर्व व्यवसाय से आय	52,000
i) चाल वर्ष का ह्रास	15,000
ii) वैज्ञानिक शोध पर चालू वर्ष का आयगत व्यय	10,000
3. सट्टे के व्यवसाय से आय	4,000

निम्न हानियों एवं छूटों को गत वर्ष से आगे लाया गया।

i) गत वर्ष 2012–13 तथा गत वर्ष 2021–22 की क्रमशः 10,000 रू0 तथा 12,000 रू0 की व्यवसायिक हाँनियों को आगे लाया गया।

ii) गत वर्ष 2016–17 का 12,000 रू0 तथा गत वर्ष 2022–23 का 10,000 रू0 का अशोधित ह्रास आगे लाया गया।

iiii) गत वर्ष 2021–22 को न पूरा हुआ वैज्ञानिक शोध का पूँजीगत व्यय 18,000 रू0 आगे लाया गया।

iv) कर निर्धारण वर्ष 2024–25 को 10,000 रू0 की सट्टे के व्यवसाय की हानि आगे लाये।

हल :

श्री कपिल की सकल कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2025–26)

विवरण	रु.	रु.	रु.
1. मकान सम्पत्ति से आय			30,000
2. व्यवसाय से आयः			
a) गैर सट्टे का व्यवसाय		52,000	
घटाइयेः			
i) चालू वर्ष का ह्रास	15,000		
ii) वैज्ञानिक शोध पर आयगत व्यय	10,000		
iii) 2021–22 की व्यवसायिक हानि	12,000		
iv) वर्ष 2016–17 का अशोधित ह्रास (घटाने हेतु समय सीमा नहीं)	12,000		
v) अशोधित ह्रास वर्ष 2022–23 (शेष लाभ की सीमा तक)	3,000	52,000	शून्य
b) सट्टे का व्यवसायः			
सट्टे के व्यवसाय का लाभ	4,000		

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

घटाइेः 2024–25 हेतु सट्टा	(-)10,000		
व्यवसाय हानि सट्टे की शेष हानि आगे ले गये	(-)6,000		
हानि का अन्य शीर्षकों की आय से समायोजन			
i) 2022–23 का आशोधित ह्रास (10,000 रू0–3000 रू0)	7,000		
ii) वैज्ञानिक शोध पर पूँजीगत व्यय		18,000	(-) 25,000
सकल कुल आय			रु. 5,000

नोटः

1) 8 वर्ष की समय सीमा पूर्ण होने के कारण वर्ष 2012–13 की हानि अब पूरी नहीं की जा सकती है।

2) 4000 रू0 की व्यवसायिक हानि को पूरा करने हेतु वेतन की आय का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

उदाहरण 6

31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु श्री जेम्स की आय का विवरण निम्न प्रकार हैः

विवरण	रू0
मकान सम्पत्ति से आय (अगणित)	2,10,000
एकाकी व्यवसाय के लाभ एवं आय	25,000
व्यक्तियों के संघ के लाभ में हिस्सा जिस पर संघ ने कर चुका दिया है	15,000
आभूषण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ	10,000
अल्पकालीन पूँजी लाभ	22,000
अंशों के विक्रय पर दीर्घकालीन पूँजी हानि	(-) 22,000
एक भारतीय कम्पनी से लाभांश (अंशों को व्यापारिक स्कन्ध के रूप में रखा गया है)	6,500
गत वर्ष की हानि की मदों को आगे लायेः	
व्यवसायिक हानियाँ	(-) 42,000
मकान सम्पत्ति से हानि	(-) 260,000
वर्ष 2025–26 हेतु मि0 जेम्स की सकल कुल आय की गणना कीजिए।	

हल :

श्री जेम्स की सकल कुल आय की गणना (कर निर्धारण वर्ष 2025–26)

विवरण	रू.	रू.
मकान सम्पत्ति से आय :	2,10,000	
घटाइये : 2,00,000 रू0 तक मकान सम्पत्ति की आगे लायी गयी हानि (मकान सम्पत्ति की 60,000 रू. की हानि आगे ले जायी जायेगी)	2,00,000	
मकान सम्पत्ति से आय	10,000	10,000
व्यवसाय अथवा पेशे से आय		
एकाकी व्यवसाय से लाभ	25,000	
AOP के लाभ में हिस्सा	15,000	
	40,000	
घटाइयेः AOP के अंश को छोड़कर आगे लाये गयी व्यवसायिक हानि कर योग्य व्यवसायिक लाभ सीमा तक 17,000 रू0 व्यवसायिक हानि (42000–25000) आगे ले जायी जायेगी	25,000	
	15,000	15,000
पूँजी लाभ :		
अल्पकालीन पूँजी लाभ	22,000	
आभूषण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ	10,000	
	32,000	
घटाइये : अंशों पर दीर्घकालीन पूँजी हानि जो कि दीर्घकालीन पूँजी लाभ से ही केवल पूरी होगी	10,000	
कर योग्य पूँजी लाभ	22,000	22,000
अन्य स्त्रोतों से आय		
व्यापारिक स्कन्ध के रूप में रखे गये अंशों पर लाभांश		6,500
सकल कुल आय		53,500

नोट :

1) A.O.P. के लाभों से व्यवसायिक लाभ पूर्ण किये जा सकते है। व्यवसायिक लाभ केवल कर योग्य लाभों से पूरे हो सकते है।

2) स्कन्ध के रूप में रखे अंशों पर लाभांश धारा 10 (34) के अधीन करमुक्त है।

3) मकान सम्पत्ति की आय से मकान सम्पत्ति की 2,00,000 रू0 तक की हानि घटा सकते है। शेष न पूरी हो सकी हानि को मकान सम्पत्ति की आय से घटाने हेतु उस समय तक आगे ले जाया जायेगा जब तक वह पूरी न की जा सके।

4) 10,000 रू0 की दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति की जायेगी तथा 12,000 रू0 का शेष आगे ले जाया जायेगा।

5) अल्पकालीन पूँजी लाभ (22,000 रू0) करदाता की आय में जोड़ा जायेगा।

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

14.20 सारांश (भाग ब)

हानियों की पूर्तिः

सट्टे की हानियों के केवल सट्टे के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है। विशिष्ट व्यवसाय की हानि को केवल उसी प्रकार के व्यवसाय अर्थात विशिष्ट व्यवसाय के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है। मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की 2,00,000 रू0 तक की हानि को किसी भी अन्य शीर्षक की आय से पूरा कर सकते है। अल्पकालीन पूँजी हानि को अल्पकालीन पूँजी लाभ एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ से पूरा किया जा सकता है। दीर्घकालीन पूँजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभ से ही पूरा किया जा सकता है।

हानियों को आगे ले जाना एवं पूरा करना :

वह हानियाँ जो घटित होने वाले वर्ष में पूरी नहीं हो पाती उन्हें आगे के वर्षो में पूरा करने हेतु निम्न प्रावधानों के आधीन आगे ले जाया जा सकता है :

a) मकान सम्पत्ति की न पूरी हुई हानि को उस वर्ष के ठीक बाद के 8 वर्षो तक पूर्ति हेतु आगे ले जाया जा सकता है जिस वर्शा में हानि प्रथम बार आगणित की गयी थी।

b) व्यवसाय अथवा पेशे की न पूरी हुई हानि को पूरा करने हेतु 8 वर्षो तक आगे ले जाया जा सकता है तथा इसे सट्टे की आय अथवा लाभ से भी पूरा कर सकते है।

c) सट्टे के व्यवसाय की हाँनियों को सट्टे के व्यवसाय के लाभों से पूरा करने हेतु 4 वर्शो तक आगे ले जाया जा सकता है।

d) विशिष्ट व्यवसाय की हाँनियों को विशिष्ट व्यवसाय के लाभों से पूरा करने हेतु अनिष्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है। इसका आशय यह है कि जब तक ऐसी हानियों की सम्पूर्ण पूर्ति न हो जाय उन्हें आगे ले जाया जा सकता है।

e) न पूरी हुई अल्पकालीन पूँजी हानियों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभों से पूरा करने हेतु 8 वर्षो तक आगे ले जा सकते है।

f) न पूरी हुई दीर्घकालीन पूँजी हानियों को अगले 8 वर्षो तक केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभों से पूरा करने हेतु आगे ले जाया जा सकता है।

g) घुड़–दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनकी रख–रखाव की न पूरी हुई हानियाँ अगले 4 वर्षो तक इसी प्रकार की गतिविधियों के लाभ से पूरी की जा सकती है।

h) एक फर्म की हानियों को आगे ले जाने तथा पूरा करने के नियम वही है जो उपरोक्त (a) से (f) तक वर्णित है। एक साझेदार फर्म की अपने हिस्से की हानि को स्वयं की आय से पूरा नहीं कर सकता।

14.21 शब्दावली भाग 'ब'

1) **अन्तर स्रोत समायोजन** : किसी करनिर्धारण वर्ष के अन्तर्गत किसी आय के शीर्षक में स्रोत विशेष के सन्दर्भ में शुद्ध परिणाम हानि की उसी आय के किसी दूसरे स्रोत से होने वाले लाभ से पूरा किया जा सकता है।

2) **अन्तर शीर्षक समायोजन** : यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी शीर्षक की आय की गणना का परिणाम हानि है तो करदाता ऐसी हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की कर योग्य आय में से करने का अधिकारी होगा।

3) **पूंजी हानियाँ** : किसी गत वर्ष की न पूरी हो सकी अल्पकालीन पूंजी हानि को दीर्घकालीन पूंजी लाभ अथवा अल्कालीन पूंजी लाभ से पूरा करने हेतु जिस वर्ष हानि हुई।

4) **अशोधित ह्रास** : आयकर अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार ह्रास का वो भाग जो व्यापार के किसी भाग से न घटाया जा सके क्योंकि व्यापार में उसे कोई आय नहीं हुई हो या कम आय हुई हो।

5) **बोनस अनावश्त** : बोनस अनावृत एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक सूचीबद्ध कम्पनी की इकाइयों का क्रयविक्रय का व्यवहार इस प्रकार किया जाता है जिससे ऐसी अल्पकालीन पूंजी हानि होती है।

14.22 बोध प्रश्नों के उत्तर (भाग 'ब')

क) 1) i) सामान्य ii) अन्तर स्रोत पूर्ति

iii) 8 वर्ष iv) 8 कर निर्धारण

v) दोनों दीर्घकालीन पूँजी लाभ और अल्पकालीन

2) i) असत्य ii) सत्य iii) सत्य iv) सत्य

v) सत्य vi) असत्य

3) a) D ii) A iii) C iv) B

14.23 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास प्रश्न (भाग ब)

1) हानियों को पूरा करने के निम्नलिखित क्या प्रावधान है।

a) अल्पकालीन पूंजी हानि

b) दीर्घकालीन पूंजी हानि

c) लाटरी और ताश के खेले में हुई

d) सट्टा में हानि

2) अशोधित ह्रास क्या है? तथा अशोधित ह्रास को आगे ले जाने के क्या नियम हैं?

3) श्री जयराम कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु अपनी आय एवं हानि का निम्न विवरण प्रस्तुत करत है:

	रू.
1) मकान सम्पत्ति से आय (अंगणित)	8,000
2) व्यक्तिगत व्यवसाय से लाभ एवं आय	25,000
3) A.O.P. से लाभ का हिस्सा (A.O.P. ने अधिकतम सीमान्त कर चुकाया)	10,000
4) अल्पकालीन पूँजी लाभ	8,000
5) दीर्घकालीन पूँजी लाभ	17,000
6) दीर्घकालीन पूँजी हानि	24,000
निम्न मदों को कर निर्धारण वर्ष 2024–25 से आगे लाया गया है:	
	रू.
1) व्यावसायिक हानि	30,000
2) मकान सम्पत्ति से हानि	10,000

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

श्री जयराम की सकल कुल हानि की गणना कीजिये तथा आगे लायी गयी हाँनियों का निस्तारण कीजिये।

उत्तर– सकल कुल आय 8000/–

4) श्री भूषण के द्वारा अपनी आय का निम्न विवरण दिया गया है। आप इससे उसकी कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु सकल कुल आय ज्ञात कीजिये।

	रू.
i) मकान सम्पत्ति से आय (आगणित)	22,000
ii) व्यक्तिगत व्यवसाय से आय एवं लाभ	68,750
iii) A.O.P. लाभ का भाग (A.O.P. ने कर नहीं भुगतान किया है)	13,750
iv) अल्पकालीन पूँजी लाभ	49,500
v) भवन विक्रय से दीर्घकालीन पूँजी लाभ	46,750
vi) अंशो के विक्रय से दीर्घकालीन पूँजी हानि	38,500
vii) अंशो पर लाभांश (व्यापारिक रहतिया की भांति रखे है)	27,500
viii) सट्टे का लाभ	22,000
ix) पिछले कर निर्धारण वर्ष से आगे लायी गयी हानियाँ:	
a) व्यवसायिक हानि	1,10,000
b) सट्टे की हानि	41,250
c) वसूल न हुआ किराया	27,500
x) दीर्घकालीन पूँजी हानि कर निर्धारण वर्ष 2021–22 हेतु	35,750
xi) दीर्घकालीन पूँजी हानि कर निर्धारण वर्ष 2014–15 हेतु	19,250

उत्तर : सकल कुल आय 71,500 रू0 अर्थात मकान सम्पत्ति की आय (22000)+ अल्पकालीन पूंजी लाभ 49500 रू0

संकेत [Hint] :

1) AOP लाभ के भाग पर AOP कर चुकायेगी।
2) अंशों पर आय (लाभांष) को व्यवसाय की आय माना जायेगा यद्यपि इस अन्य स्त्रोतों की आय के रूप में प्रदर्शित करेंगे।
3) वसूल न हुआ किराये की किसी स्त्रोत से भी पूर्ति नहीं की जा सकती है।
5) श्री एम0एस0 निगम ने गतवर्ष 2024–25 के लिये अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है :

	रू.
1) गत वर्ष में व्यवसाय से आय	90,000
2) भवन से गत वर्ष में दीर्घकालीन पूँजी लाभ	70,000
3) लाटरी का इनाम	1,00,000
4) ताष के खेल की हानि	14,000
5) क्रिकेट पर दाँव लगाने से लाभ	18,000
6) घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय	18,000

निम्न हाँनियों एवं अशोधित मदों को गत वर्ष में आगे लाये:

	रू.
i) सट्टे की हानि 2021–22	14,000
ii) कपड़े के व्यवसाय की हानि 2019–20	30,000
iii) अशोधित ह्रास	18,000
iv) दीर्घकालीन पूँजी हानि 2021–22	25,000
v) चाँदी के व्यवसाय से हानि 2013–14	17,000
vi) घुड़ दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से हानि 2020–21	22,000

चालू वर्ष का ह्रास 16000 रू0 जिसे उपरोक्त व्यवसाय के लाभ से नहीं घटया गया है। हानि की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाने सम्बन्धी नियमों को ध्यान में रखते हुये निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु श्री एम.एस. निगम की सकल कुल आय की गणना कीजिये।

उत्तरः सकल कुल आय 1,89,000 रू0 व्यवसाय की आय 26,000 रू0, पूँजी लाभ 45,000 रू. अन्य स्त्रोतो से आय 1,18,000 रू.

आयों का संकलन (आयों को इकट्ठा करना तथा मानी गई आयें) तथा हानियों को पूरा करना और उन्हें आगे ले जाना

6) एक व्यापारी ने 2024–25 के गत वर्ष हेतु निम्न विवरण प्रस्तुत किया

	रू.
i) व्यवसाय से हानि	1,00,000
ii) विशिष्ट व्यवसाय से हानि	35,000
iii) चालू वर्ष हेतु ह्रास की छूट	20,000
iv) मकान सम्पत्ति से आय (अंगणित)	2,00,000
v) पूर्व के वर्षो से आगे लायी गयी मदें :	
a) कर निर्धारण वर्ष 2023–24 हेतु व्यवसाय की हानि	1,20,000
b) कर निर्धारण वर्ष 2024–25 से सम्बन्धित अशोधित ह्रास	50,000

कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु व्यापारी की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तर: सकल कुल आय 30,000 रू0 अर्थात [मकान सम्पत्ति से आय 2,00,000– (व्यवसायिक हानि 1,00,000 + चालू ह्रास 20,000 + अशोधित ह्रास 50,000)]

7) श्री हरी प्रसाद कर निर्धारण वर्ष 2025–26 के सन्दर्भ में अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते है:

	रू.
व्यवसाय का लाभ	32,000
अल्पकालीन पूँजी लाभ	25,000
म्यूचल फण्ड इकाईयों से आय	28,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ (भूमि एवं भवन से)	7,500
घुड़ दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं रख–रखाव से आय	25,000
क्रासवर्ड पहेली से आय	28,000
निम्न मदों को आगे लाया गया:	
आगे लाई गयी व्यवसाय की हानि (कर निर्धारण वर्ष 2023–24 से)	37,000
अशोधित ह्रास (कर निर्धारण वर्ष 2023–24 से)	18,000
कर निर्धारण वर्ष 2021–22 की दीर्घकालीन पूँजी हानि	42,000
कर निर्धारण वर्ष 2023–24 का घुड़ दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व एवं उनके रख–रखाव सम्बन्धी हानि	35,000
कर निर्धारण वर्ष 2022–23 की सट्टे से हानि	20,000

श्री हरी प्रसाद की कर निर्धारण वर्ष हरी 2025–26 हेतु सकल कुल आय ज्ञात कीजिए।

उत्तर: सकल कुल आय 35000 रू0 [(25,000 के अल्पकालीन पूँजी लाभ + 28,000 पहेली की आय)– 18,000 अशोधित ह्रास]

8) एक निवासी करदाता द्वारा लेखा वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 एवं हेतु निम्न विवरण प्रदत्त किया जाता है:

2023-24	
	रू.
वर्ष 2019–20 में बन्द किये गये चाँदी के सट्टे के व्यवसाय की हानि आगे लाये	10,000
कपड़े के व्यवसाय का लाभ	2,35,000
20,000 रू0 का ह्रास घटाने से पूर्व आरा मशीन के व्यवसाय की आय	25,000
एक व्यक्तियों के संघ (A.O.P.) से आधा लाभ प्राप्त करने पर	28,500
प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	18,000
2024-25	
इस वर्ष में प्रारम्भ किये गये सोने के सट्टे के व्यवसाय का लाभ	50,000
कपड़े के व्यवसाय की हानि	10,000
चालू वर्ष का 30,000 रू0 का ह्रास लगाने से पूर्व आरा मशीन के व्यवसाय का लाभ	16,000
फर्म से आधे हिस्से का लाभ	1,00,000
विदेश में स्थापित व्यवसायिक उपक्रम का लाभ जो भारत में नहीं लाया गया	2,35,000
अप्रकट स्त्रोत की आय	20,000

कर निर्धारण वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 हेतु करदाता की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

उत्तरः

1) कर निर्धारण वर्ष 2024–25 हेतु सकल कुल आय 2,58,000 [2,35,000 + (25,000-20,000) 5000+18000]. **संकेत**– A.O.P. द्वारा अधिकतम सीमान्तर दर से स्वयं कर दिया जायेगा। इसी प्रकार फर्म की आय पर फर्म कर देगी। अतः यह दोनों आये करदाता की सकल कुल आय में नहीं जोड़ी जायेगी।

2) कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु सकल कुल आय रू0 2,71,000 [(सोने के सट्टे के लाभ–चाँदी के सट्टे की हानि आगे लाये) = 40,000 + (विदेशी व्यवसाय का लाभ–(कपड़े के व्यवसाय की हानि + आरा व्यवसाय की हानि) अर्थात् 2,35,000 – (10,000 + 14,000 रू0 2,11,000 + अप्रकट स्त्रोत की आय रू0 20,000].